रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273790
CG-DL-E-24062026-273790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948
No. 162] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2026

अंतिम जांच परिणाम

सं. एडी(ओआई)-16/2025

मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रोल्स में फेस्ड ग्लास वूल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।



रोल्स में फेस्ड ग्लास वूल की चित्रात्मक प्रस्तुति

फा. सं. 6/18/2025-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975(जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि मैसर्स यू.पी. ट्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष मिस्र (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रोल्स में फेस्ड ग्लास वूल (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिनियम/नियमावली के अनुसार एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को कथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, दिनांक 16 जून 2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना फा. सं. 6/18/2025 जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ii. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/18/2025-डीजीटीआर, दिनांक 16 जून, 2025 जारी की।

iii. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों और मिस्र के निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पतों के अनुसार एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार दें।

3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र की अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति, अनुरोध किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

3.3 उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मिस्र में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक मैसर्स ग्लास रॉक इन्सुलेशन कंपनी एसएई को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

ii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, मिस्र के उत्पादकों/निर्यातकों मैसर्स ग्लास रॉक इंसुलेशन कंपनी एसएई ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करके उत्तर दिया।

3.4 आयातक/प्रयोक्ता द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी।

क. मैसर्स ट्रैंक्विल

ख. मैसर्स बी.एम. इंसुलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

ग. मैसर्स ग्रीन इको इंजीनियर्स

घ. मैसर्स ओवेन्स कॉर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ड. मैसर्स सिप्ला सॉल्यूशंस

च. मैसर्स आर्के इंडस्ट्रीज

छ. मैसर्स ऑल आर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ज. मैसर्स एवन रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड

झ. मैसर्स रेवो इंटरनेशनल

ञ. मैसर्स सन एंटरप्राइजेज

ट. मैसर्स ओबेरॉय कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड

ठ. मैसर्स इनक्लाइन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड

ड. मैसर्स जायसवाल एजेंसीज

ii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, मैसर्स ग्रीनर एकॉस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएपीएल), आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके उत्तर दिया है। नवभारत इन्सुलेशन एंड इंजी. कंपनी, आयातक/प्रयोक्ता ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किए जाने का अनुरोध किया है।

iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, भारत में सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और उत्पादकों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर कर उत्तर दिया:

i. मैसर्स ग्रीनर एकॉस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

3.5 जांच की अवधि और क्षति की अवधि

i. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 माह) है। वर्तमान जांच के लिए क्षति की जांच अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और जांच की अवधि है।

3.6 आगे की प्रक्रिया

i. सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त समय बढ़ाए जाने के अनुरोध पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 10.07.2025 तक का अतिरिक्त समय दिया। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां दायर की गईं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों/अनुरोधों की जांच के बाद, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को संशोधित किया। इसके बाद, अंतिम विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति दिनांक 25.07.2025 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई थी और उसके बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा प्रदान की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों से समय बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त होने पर प्रश्नावली के उत्तर दायर करने की समय सीमा 31.08.2025 तक बढ़ाई गई थी।

ii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ प्राधिकारी के साथ वर्तमान जांच में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

iii. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हो गए थे और लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।

iv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार देने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 6 जनवरी 2026 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध करने का निर्देश दिया गया था।

v. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

vi. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर, साक्ष्य से समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

vii. नियम 7 के अनुसार, गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

viii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

ix, प्राधिकारी ने जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में संतुष्ट किया, जो वर्तमान अंतिम जांच परिणामों का आधार बनता है।

x. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को एक ईमेल भेजा गया था जिसमें पाटनरोधी जांच के लिए दायर आवेदन-पत्र के बारे में सूचित किया गया था और इस मामले में उनकी राय मांगी गई थी।

xi. प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाहियों के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक, घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xii. इस अधिसूचना में '***'हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.58 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क) अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया कि रोल फॉर्म में ग्लास वूल के अलावा, उसने ग्लास वूल बोर्ड की सीमित मात्रा का निर्यात किया था। यह अनुरोध किया गया था कि जांच के क्षेत्र के संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए अधिसूचना संख्या 6/23/2019-डीजीटीआर दिनांक 22.12.2020 द्वारा जारी समान उत्पादों के संबंध में प्राधिकारी के पूर्व अंतिम जांच परिणाम के अनुरूप वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से ग्लास वूल बोर्ड को स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाए।

ख) अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया कि वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग के साथ ग्लास वूल का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और तकनीकी विशेषताओं, भौतिक गुणों और अंतिम प्रयोग के निष्पादन के संदर्भ में अन्य फेस ग्लास वूल उत्पादों से भौतिक रूप से अलग है। तदनुसार, यह अनुरोध किया गया था कि वी-एफएसके फोल्डिंग वाले ग्लास वूल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। वैकल्पिक रूप से, यदि बाहर नहीं रखा गया है, तो यह

अनुरोध किया गया था कि उत्पाद को मार्जिन गणना के उद्देश्य से "एफएसके" के व्यापक वर्ग के तहत समूहीकृत किया जाए या एक अलग पीसीएन के रूप में माना जाए। यह भी तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग ने याचिका में वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग के साथ फेस्ड ग्लास वूल को डब्ल्यूएमपी-50/डब्ल्यूएमएसजी-50 फेसिंग की श्रेणी में गलत तरीके से वर्गीकृत किया था, जबकि निर्यातक ऐसे उत्पादों का निर्यात नहीं कर रहा था और दोनों प्रकार तकनीकी और व्यावसायिक रूप से गैर-तुलनीय थे।

ग. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेस्ड ग्लास वूल" है जिसे फाइबरग्लास वूल (इंसुलेशन सामग्री) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान जांच का क्षेत्र रोल में आयातित फेस ग्लास वूल तक ही सीमित है और टाइल/बोर्ड के रूप में आयातित ग्लास वूल वर्तमान जांच के उत्पाद क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।

ख) घरेलू उद्योग विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं और ऑर्डर मात्रा के आधार पर "विनाइल फ़ॉइल स्क्रिम क्राफ्ट विद फोल्डेड फ्लेंज" (वी-एफएसके फोल्डेड) सहित किसी भी प्रकार की फेसिंग वाले सामानों का उत्पादन करने में पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही, विचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया फेसिंग मात्र एक अतिरिक्त अभिलक्षण या फिनिशिंग का अंतर है और उल्लिखित उत्पाद की अनिवार्य विशेषताओं या तकनीकी मापदंडों को नहीं बदलता।

ग) इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद एल्यूमीनियम पन्नी, क्राफ्ट पेपर, एफएसके, या वी-एफएसके जैसे विभिन्न प्रकार के फेसिंग के साथ उपलब्ध है, प्रत्येक को अंतिम प्रयोग विनिर्देशों और बाजार प्राथमिकताओं के अनुसार लगाया जाता है। फेसिंग जोड़ने की प्रक्रिया में विचाराधीन उत्पाद की मौलिक उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल की संरचना या मूल निष्पादन विशेषताओं में कोई बदलाव शामिल नहीं है। इसमें केवल उत्पादन के अंतिम चरण के दौरान एक फेसिंग परत का अनुप्रयोग शामिल है, जिसे ऑर्डर दी गई किस्म के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है। इसलिए, किसी विशिष्ट फेसिंग की उपस्थिति या अनुपस्थिति जांच के क्षेत्र से ऐसे वेरिएंट को बाहर करने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए, वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के अनुसार वी-एफएसके-फेस वाले उत्पादों के लिए एक अलग पीसीएन बनाया जा सकता है।

घ) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी चल रही जांच में संरचित और उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन को अधिसूचित कर सकते हैं और अपना सकते हैं।

ड.) घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि आयातित फेस्ड ग्लास वूल के बीच गलत वर्गीकरण और अनुचित तुलना का आरोप लगाने वाले हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध, वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग के साथ और घरेलू स्तर पर उत्पादित फेस्ड ग्लास वूल को व्हाइट मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलीन-50 (डब्ल्यूएमपी-50) फेसिंग के साथ जांच में अपनाई गई उत्पाद तुलना ढांचे और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति की गलत समझ पर आधारित है।

च) आवेदन-पत्र में प्रस्तुत तुलना केवल जांच की शुरुआत के स्तर पर प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के लिए थी। घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति की शुरुआत के लिए पर्याप्त साक्ष्य सिद्ध करने के लिए घरेलू स्तर पर उपलब्ध सबसे निकट से जुड़े उत्पाद प्रकार के साथ विचाराधीन उत्पाद की तुलना की। अंतिम निर्धारण अनिवार्य रूप से निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए वास्तविक पीसीएन के अनुरूप लागत, कीमत और तकनीकी विशेषताओं सहित आंकड़ों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगा।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. 16 जून, 2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना में, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति पर निम्नानुसार विचार किया है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेस्ड ग्लास वूल" है, जिसे फाइबरग्लास वूल (इंसुलेशन सामग्री) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद को कई रूपों में भारत में आयात किया जाता है जैसे कि रोल, स्लैब, शीट आदि। वर्तमान याचिका विचाराधीन उत्पाद को कवर करने का प्रयास करती है जब उन्हें रोल में भारत में आयात किया जाता है।

ग्लास वूल में कंबल और स्लैब/बोर्ड बनाने के लिए बाइंडर के साथ संयुक्त महीन कांच के फाइबर होते हैं। इस प्रक्रिया में एक फाइबराइजिंग मशीन के माध्यम से कांच को गुजरना और घूमने वाले स्पिनरों की अपकेन्द्री क्रिया द्वारा स्पिनरों से नियंत्रित तरीके से फाइबर निकालना शामिल है, बांधक को एक साथ स्प्रे किया जाता है और फिर रोल, कंबल आदि बनाने के लिए क्युरिंग ओवन के माध्यम से गुजारा जाता है।

ग्लास वूल में आम कांच बनाने वाली कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आमतौर पर सिलिका रेत, सोडा राख (सोडियम कार्बोनेट), फेल्डस्पार, डोलोमाइट, चूना पत्थर और बोरेक्स पेंटा हाइड्रेट शामिल होते हैं। अन्य सामग्रियों में पुनर्नवीनीकरण कांच का कलेट और खरीदे गए शीट ग्लास का कलेट शामिल हैं। कच्चे माल को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिलाया जाता है, फिर एक विद्युत भट्टी/गैस भट्टी में एक साथ भरा जाता है जहां इसे लगभग 1500 डिग्री तक गर्म किया जाता है। भट्टी से धारा को टैप किया जाता है और इसे फोरहेर्थ नामक कंडीशनर में फीड किया जाता है जहां कांच को एक तापमान पर लाया जाता है जहां इसे फाइबराइज्ड किया जा सकता है।

उत्पाद का प्रयोग धातु और कंक्रीट भवन के निर्माण, इमारतों को शीतलन सेवाएं प्रदान करने के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ध्वनिक अनुप्रयोग, जहाज निर्माण, रेलवे और ऑटोमोबाइल सहित परिवहन उद्योग में इनके प्रमुख प्रयोग होते है। उत्पाद में गैर-दहनशील और अग्नि सुरक्षित गुणों के अलावा बेहतर थर्मल और ध्वनिक निष्पादन की अंतर्निहित शक्ति है। इमारतें इस उत्पाद का प्रयोग करके उच्च ऊर्जा दक्षता प्राप्त करती हैं और इस उत्पाद के अनुप्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए बढ़ रहे हैं।

संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्ष 70 "कांच और कांच के सामान" के तहत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध सामानों का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 70198000, 70199000, 70199010, 70199090, 70191900, 70193900, 70195900 आदि के तहत किया जा रहा है। किसी भी मामले में, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक उद्देश्यों के लिए है और सामानों का विवरण शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए विद्यमान होगा।

आवेदक ने उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/रूपों के बीच उचित तुलना के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने मोटाई, घनत्व और फेसिंग के प्रकार के आधार पर पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव किया है। आवेदक द्वारा सुझाई गई पीसीएन पद्धति नीचे दी गई है।

प्रस्तावित पीसीएन में, पहले दो अंक उत्पाद के घनत्व (किलोग्राम/मीटर क्यूब में) को दर्शाते हैं, अगले तीन अंक उत्पाद की मोटाई (मिलीमीटर में) को दर्शाते हैं, अगले दो अंक पहले फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं और नीचे दिए गए कोड के अनुसार अंतिम दो अंक दूसरे फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं। यदि कोई दूसरी फेसिंग नहीं है, तो हितबद्ध पक्षकार "00" का प्रयोग कर सकते है।"

विभिन्न फेसिंग के लिए कोडिंग इस प्रकार प्रस्तावित है:

फेसिंग का प्रकार	***पीसीएन में तद्नुरूपी संख्या***
एएलजी	*01*
बीजीसी	*02*
बीजीटी	*03*
डीएसएफएसके	*04*
एफजीटी	*05*
एफएसके	*06*
एमपीएफ	*07*
आर303 एचडी	*08*
डब्ल्यूएमपी-50	*09*
डब्ल्यूएमपी-वीआर	*10*
डब्ल्यूएमपीवीआर आर प्लस-	*11*
कोई अन्य	*12*
कोई नहीं (केवल दूसरी फेसिंग के मामले में)	*00*

उदाहरण के लिए, 12 किलोग्राम/3 घन मीटर घनत्व वाले ग्लास वूल के लिए पीसीएन, 100 मिमी की मोटाई और एफएसके की पहली फेसिंग बिना किसी दूसरी फेसिंग के 12-100-06-00 होगी।

7. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपने अनुरोध दायर करने का अवसर दिया था। जांच की शरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर टिप्पणियां दायर करने के लिए आमंत्रित किया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने की समय सीमा को 10 जुलाई 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

8. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी टिप्पणियों की जांच की।

9. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने 25 जुलाई 2025 को विचाराधीन उत्पाद के संशोधित क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया। प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

"रोल्स में फेस्ड ग्लास वूल" जिसे फाइबरग्लास वूल (इंसुलेशन सामग्री) या रेज़िन बॉन्डेड ग्लास वूल के रूप में भी जाना जाता है, में "फ्लैट/सारणीबद्ध रूप में फेस ग्लास वूल" जैसे टाइल, शीट या बोर्ड और ग्लास वूल एकॉस्टिकल सीलिंग टाइल शामिल नहीं हैं।

10. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"समान वस्तु" का अर्थ उस वस्तु से है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। भले ही संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए अलग-अलग विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं, अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देश हैं और इसका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है। इसे देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पाद को भारत में आयात किए गए उत्पाद के समान ही माना जाता है।

12. वी-एफएसके फोल्डेड के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास ग्राहक की आवश्यकताओं और ऑर्डर मात्रा के आधार पर, फोल्डेड फ्लेंज (वी-एफएसके फोल्डेड) के साथ विनाइल फॉइल स्क्रिम क्राफ्ट सहित किसी भी प्रकार की फेसिंग वाले उत्पादों का निर्माण करने की क्षमता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एक फेसिंग परत जोड़ने से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की बुनियादी विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल की संरचना या मूल तकनीकी निष्पादन विशेषताओं में बदलाव नहीं होता है। यह केवल उत्पादन के अंतिम चरण में किया जाने वाला एक अंतिम चरण है और इसे ग्राहक द्वारा अनुरोधित फेसिंग के प्रकार के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में, पहले से ही पीसीएन "कोई अन्य (तदनुरूपी पीसीएन संख्या 12 है)" के तहत फेसिंग के किसी अन्य प्रकार के लिए गुंजाइश है। अत: वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग के लिए अलग पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।

13. तदनुसार, जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति इस प्रकार है:

फेसिंग का प्रकार	*पीसीएन में तदनुरूपी संख्या*
एएलजी	*01*
बीजीसी	*02*
बीजीटी	*03*
डीएसएफएसके	*04*
एफजीटी	*05*
एफएसके	*06*
एमपीएफ	*07*
आर 303 एचडी	*08*
डब्ल्यूएमपी-50	*09*
डब्ल्यूएमपी-वीआर	*10*
डब्ल्यूएमपी-वीआर आर प्लस	*11*
कोई अन्य	*12*
कोई नहीं (केवल दूसरी फेसिंग के मामले में)	*00*

उदाहरण के लिए, 12 किलोग्राम/3 घन मीटर घनत्व वाले ग्लास वूल के लिए पीसीएन, 100 मिमी की मोटाई और एफएसके की पहली फेसिंग बिना किसी दूसरी फेसिंग के 12-100-06-00 होगी।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि वे घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में आवेदक के तर्क से कोई विवाद नहीं करते हैं।

घ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क) यह आवेदन-पत्र मैसर्स यू.पी. ट्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया कि वह भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए नियमावली की परिधि के भीतर घरेलू उद्योग बनने के लिए स्पष्ट आधार रखता है।

ख) आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। आवेदक भी संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहहत घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. वर्तमान मामले में यह आवेदन-पत्र घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक मैसर्स यू.पी ट्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन में 100% है।

18. आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि वह न तो निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध है और न ही इसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेदक नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है और नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू है।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. आवेदक ने एक व्यापक दावा किया है कि निर्यातक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार उन किसी विशिष्ट विवरणों या मापदंडों की पहचान किए बिना, जो व्यापार सूचना संख्या के तथाकथित रूप से गायब हैं या अनुरूप नहीं हैं, की पहचान किए बिना व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।

ii. यह कि अन्य हितबद्ध पक्षकार ने लागू गोपनीयता आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन किया है, और उल्लेख किए जाने पर गोपनीय के रूप में पूर्व में दावा की गई किसी भी सूचना को उचित रूप से प्रकट किया है और इसीलिए, उसके अनुरोधों को लागू व्यापार सूचनाओं और पाटनरोधी नियमावली का पूर्णत: पालन करने के रूप में माना जाना चाहिए।

ड. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. वर्तमान मामले में निर्यातकों ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार अपना प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है। व्यापार सूचना में आवश्यक अधिकांश सूचना या तो निर्यातकों द्वारा नहीं दी जाती है या व्यापार सूचना के अनुसार नहीं होती है।

ii. यह कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया के अगोपनीय रूपांतर में उचित कारण बताए बिना गोपनीय रूपांतर में निहित सभी सूचना शामिल नहीं है। निर्यातक के लिए यह अनिवार्य था कि वह कारणों का उचित विवरण दे कि गोपनीयता का दावा क्यों किया गया और कुछ सूचनाओं के लिए सार क्यों संभव नहीं था।

iii. निर्यातकों न केवल सार्थक प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऐसी अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने के लिए कोई कारण भी नहीं दिया है। उत्तरों के साथ संलग्न परिशिष्टों में कोई सार्थक अगोपनीय उत्तर नहीं है।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है:

22. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने उत्तरों में कुछ सूचना का प्रकटन करने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने उनके द्वारा दावा की गई गोपनीयता को सही ठहराया है। इसके अलावा, ऐसी सूचना के गैर-प्रकटीकरण के कारण घरेलू उद्योग के हित को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. निर्यातक (मैसर्स ग्लास रॉक) ने अनुरोध किया कि अधिनियम की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार, सामान्य मूल्य निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए भेजे जाने पर समान वस्तु के लिए व्यापार की साधारण प्रक्रिया में तुलनीय कीमत है। चूंकि निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है, इसलिए निर्यातक के लिए पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण उक्त प्रश्नावली प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए।

ii. मैसर्स ग्लास रॉक, "निजी मुक्त क्षेत्र" व्यवस्था के तहत काम करता है। यह निवेश व्यवस्था निवेश गारंटी और प्रोत्साहन पर 1997 के कानून संख्या 8 के तहत सिद्ध की गई है, जिसे 2015 के कानून संख्या 17 द्वारा संशोधित किया गया है, और बाद में इसे 2017 के कानून संख्या 72 ("निवेश कानून") द्वारा निरस्त और प्रतिसिद्ध किया गया है। इस व्यवस्था के तहत काम करने वाली कंपनियों को मिस्र के नियमित घरेलू सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर काम करने वालों से भिन्न माना जाता है।

iii. इसलिए, मिस्र के घरेलू बाजार में खपत के लिए बेचे गए विचाराधीन उत्पाद से जुड़े लेनदेन के लिए, मैसर्स ग्लास रॉक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया इस प्रकार है:

(क) घरेलू ग्राहक पहले अल-अक्सा को खरीद आदेश देता है।

(ख) रिकॉर्ड के आयातक के रूप में कार्य करते हुए, अल-अक्सा तब लागू मिस्र के मुक्त क्षेत्र और सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार ग्राहक को वाणिज्यिक बीजक जारी करता है।

(ग) इसके बाद, मैसर्स ग्लास रॉक ग्राहक को सामान का निर्माण, निरीक्षण और वितरण करता है और आवश्यक तकनीकी, लॉजिस्टिक और बिक्री के बाद सहायता प्रदान करता है।

iv. इस संरचना का पालन मिस्र के कानूनी ढांचे द्वारा मुक्त क्षेत्र कंपनियों से आयात को विनियमित करने की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए मैसर्स ग्लास रॉक द्वारा किया जाता है। अल-अक्सा की भूमिका उल्लिखित कानूनों द्वारा अपेक्षित बीजक कार्य करने तक सीमित है, जबकि सभी मूल वाणिज्यिक, तकनीकी और प्रचालन कार्य सीधे मैसर्स ग्लास रॉक द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा, मैसर्स ग्लास रॉक ग्राहकों को घरेलू बिक्री बीजक जारी करने के लिए अल-अक्सा को ***% कमीशन का भुगतान करता है।

v. घरेलू बिक्री चैनल के संबंध में अल-अक्सा के माध्यम से बीजक में वितरक या व्यापारी की कोई भागीदारी नहीं होती है, लेकिन यह केवल मिस्र के कानून द्वारा अनिवार्य एक अनुपालन तंत्र है ताकि मुक्त क्षेत्र कंपनियां घरेलू बाजार तक पहुंच सकें। अंतर्निहित बिक्री प्रभावी रूप से मैसर्स ग्लास रॉक और अंतिम प्रयोक्ता के बीच है, जिसमें अल-अक्सा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड के कानूनी आयातक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, अल-अक्सा मैसर्स ग्लास रॉक का संबद्ध पक्षकार नहीं है और इसलिए, वर्तमान जांच में इसकी प्रतिभागिता असंगत नहीं है। साथ ही, मैसर्स ग्लास रॉक ने अंतिम ग्राहक को बिक्री कीमत प्रदान की है।

vi. मिस्र के घरेलू बाजार में मैसर्स ग्लास रॉक द्वारा विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और भारत को निर्यात के लिए मैसर्स ग्लास रॉक द्वारा की गई बिक्री के वाणिज्यिक स्तरों में अंतर है। यह अंतर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना को प्रभावित करता है। घरेलू बिक्री सीधे मैसर्स ग्लास रॉक द्वारा अंतिम प्रयोक्ताओं को की जाती है जबकि भारत को निर्यात असंबद्ध आयातकों या वितरकों को किया जाता है।

vii. व्यापार के स्तर ("एलओटी") की अवधारणा समायोजन एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पहलू है जिसे सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार ("एडीए") के अनुच्छेद 2.4 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 6 (i) के तहत अपेक्षित है।

viii. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 में यह प्रावधान है कि:

"निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना की जाएगी। यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर, सामान्य रूप से कारखानागत स्तर पर की जाएगी। प्रत्येक मामले में, औचित्य के आधार पर उन अंतरों के लिए उचित अनुमति दी जागी जो बिक्री के निबंधनों और शर्तों, कराधान, व्यापार के स्तरों, मात्राओं, भौतिक विशेषताओं और किसी भी उन अंतरों सहित कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं, जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए दर्शाए जाते हैं।"

ix. इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 6 (i) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"6. (i) पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेंगे। यह तुलना व्यापार के समान स्तर, सामान्य रूप से कारखानागत स्तर पर और उसी समय यथासंभव निकटता के स्तर पर की गई बिक्री के संबंध में की जाएगी। प्रत्येक मामले में, औचित्य के आधार पर उन अंतरों के लिए उचित अनुमति दी जागी जो बिक्री के निबंधनों और शर्तों, कराधान, व्यापार के स्तरों, मात्राओं, भौतिक विशेषताओं और किसी भी उन अंतरों सहित कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं, जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए दर्शाए जाते हैं।"

x. मिस्र में घरेलू बिक्री चैनल और भारत को किए जाने वाले शिपमेंट के लिए निर्यात बिक्री चैनल के बीच एक स्पष्ट और ठोस अंतर मौजूद है।

xi. मैसर्स ग्लास रॉक प्राइवेट फ्री जोन व्यवस्था के तहत काम करता है और उपरोक्त कानून के अनुसार, ग्राहक मैसर्स ग्लास रॉक से विचाराधीन उत्पाद तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि वे आयात रजिस्टर के तहत पंजीकृत न हों और उनके पास वैध आयात लाइसेंस न हो।

xii. मैसर्स ग्लास रॉक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में दो असंबद्ध आयातकों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। विशेष रूप से, मैसर्स ग्लास रॉक ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और वितरण के लिए जीएपीएल (आयातक) के साथ वितरण करार किया है। इसके अलावा, कुछ मात्राएं बीएम इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड (आयातक) को भी निर्यात की गई हैं, जिसने भारत में ग्राहकों और अंतिम प्रयोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद बेचा है। वितरण करार की शर्तों के तहत, जीएपीएल भारत में बाजार विकास और निचले स्तर की बिक्री प्रचालनों की पूरी जिम्मेदारी लेता है।

xiii. तदनुसार, भारत में सभी विपणन, बिक्री और वितरण कार्य जिनमें बाजार विकास, ग्राहक पहुंच, बिक्री वार्ता और डिलीवरी का समन्वय शामिल है, मैसर्स ग्लास रॉक की किसी भी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना, स्वतंत्र रूप से जीएपीएल और बीएम इंसुलेशन द्वारा किया जाता है।

xiv. इसके विपरीत, मिस्र के घरेलू बाजार में, मैसर्स ग्लास रॉक अपने स्वयं के सभी मुख्य बिक्री और विपणन कार्यों को करता है, जिसमें ग्राहकों की पहचान करना, बिक्री पर बातचीत करना और उसे पूरा करना, बीजक और रसद का प्रबंधन करना और बिक्री के बाद सहायता प्रदान करना शामिल है। इस प्रकार घरेलू लेनदेन एक ऐसे चरण में होता है जहां मैसर्स ग्लास रॉक स्वयं अंतिम प्रयोक्ताओं और परियोजना ग्राहकों तक पहुंचने के लिए पूर्ण वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक जिम्मेदारी वहन करता है।

xv. यह मैसर्स ग्लास रॉक के घरेलू और निर्यात लेनदेन के वाणिज्यिक स्तर और कार्यात्मक तीव्रता में एक स्पष्ट अंतर दर्शाता है। जबकि घरेलू कीमतों में आवश्यक रूप से विपणन, वितरण और ग्राहक सेवा से जुड़ी लागत और मार्जिन शामिल होते हैं, भारत को निर्यात कीमतें थोक या वितरक स्तर पर सिद्ध की जाती हैं, जहां ये कार्य और संबंधित लागतें असंबद्ध आयातकों द्वारा ली जाती हैं। बिक्री स्तरों में इस तरह का विचलन सीधे कीमत तुलनीयता को प्रभावित करता है,

जिससे पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के नियम 6 (i) और डीजीटीआर मैनुअल के अनुच्छेद 13.15.11 के अनुसार व्यापार के स्तर में अंतर के लिए उचित छूट की आवश्यकता होती है।

xvi. तदनुसार, मैसर्स ग्लास रॉक ने अपनी घरेलू बिक्री से संबंधित आयातकों द्वारा अर्जित सकल मार्जिन की सीमा तक व्यापार समायोजन के स्तर का दावा किया है जो लगभग ***% है। मैसर्स ग्लास रॉक ने आगे अनुरोध किया कि प्राधिकारी व्यापार समायोजन के स्तर की अनुमति दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैसर्स ग्लास रॉक के पाटन मार्जिन के परिकलन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना की जाती है।

च. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

i. आवेदक ने मिस्र के लिए सामान्य मूल्य का आकलन घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, घरेलू उद्योग के अनुभव पर आधारित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर किया है। प्राधिकारी मिस्र के उत्पादकों के रिकॉर्ड के आधार पर उनके लिए सामान्य मूल्य की गणना कर सकते हैं।

ii. निर्यात कीमत के संबंध में, आवेदक ने अपने पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का शुरुआती विवरण दिया है। हालाँकि, अंतिम जांच परिणामों के लिए, प्राधिकारी निर्यातक के अलग-अलग निर्यात कीमतों पर भरोसा कर सकते हैं, बशर्ते निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर सच्चाई, सटीकता और पूरी तरह से दिया हो।

iii. मिस्र में घरेलू बाजार के लेन-देन के ढांचे और व्यापार के स्तर (एलओटी) में बदलाव के लिए किए गए अनुरोधों के संबंध में निर्यातक की बातें मूल रूप से गलत, असंगत हैं और उनके अपने उत्तरों से सामने आई वास्तविक स्थिति और मिस्र के कानूनी ढांचे, दोनों के विपरीत हैं।

iv. निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है क्योंकि प्रश्नावली के जवाब में, निर्यातक ने कहा था कि उन्होंने एलओटी में बदलाव का अनुरोध इस आधार पर किया था कि भारत को निर्यात के लिए गैर-संबंधित आयातकों को उनकी निर्यात बिक्री, घरेलू बाजार में मै. ग्लास रॉक द्वारा अंतिम उपयोगकर्ताओं को की गई बिक्री की तुलना में व्यापार के एक अलग स्तर पर है। मिस्र में अंतिम उपभोक्ताओं को निर्यातक द्वारा सीधे बिक्री का यह स्पष्ट दावा ही उनके एलओटी अनुरोध का आधार बना था। हालाँकि, अपनी लिखित दलीलों में, निर्यातक ने बिल्कुल विपरीत बात कही है; उनका कहना है कि निजी मुक्त क्षेत्र में होने के कारण उन्हें सीधे घरेलू बिक्री करने की मनाही है और सभी घरेलू बिक्री अल अक्सा के माध्यम से की जाती है, जो बिलिंग का काम करती है। यह नया दावा अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे बिक्री करने के उनके पहले के बयान का सीधे तौर पर खंडन करता है। निर्यातक ने अपने पक्ष में एलओटी बदलाव पाने के इरादे से प्राधिकारी के सामने महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

v. घरेलू बिक्री के लिए मिस्र में निर्यातक और अंतिम ग्राहकों के बीच 'अल अक्सा' एक मध्यस्थ व्यापारी के रूप में शामिल है। इससे पता चलता है कि निर्यातक की घरेलू बिक्री का स्तर भारत में व्यापारियों या वितरकों को की गई बिक्री के स्तर के बराबर है।

vi. अल अक्सा केवल वास्तविक व्यापार गतिविधि किए बिना बीजक जारी नहीं कर रहा है। जैसा कि निर्यातक द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है कि निजी मुक्त क्षेत्र के बाहर किसी भी गतिविधि में सामान की बिक्री, आयात या व्यापार को मिस्र के कानून के तहत आयातक के रूप में पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त इकाई द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसलिए, अल

अक्सा केवल एक बीजक इकाई नहीं हो सकती है, बल्कि यह मिस्र के भीतर माल के आयात और व्यावसायिक रूप से पुन: बिक्री के वाणिज्यिक और कानूनी कार्य में शामिल है।

vii. निर्यातकर्ता द्वारा प्रमाणित कानूनी ढांचे के लिए आयात गतिविधि के लिए केवल "व्यापार" में लगे संस्थाओं के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है, न कि केवल बीजक के लिए। यह पुष्टि करता है कि अल अक्सा ठोस व्यापार संचालन में संलग्न है, जिससे घरेलू आयातक-व्यापारी की भूमिका ग्रहण करता है।

viii. एलओटी समायोजन के अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले व्यापार स्तरों में अंतर को समायोजित किया जा सकता है यदि सत्यापन योग्य साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान मामले में, निर्यातक के विरोधाभासी दावे, वास्तविक बिक्री संरचना का छिपाव, और एक अघोषित मध्यस्थ पर निर्भरता एलओटी अंतर की किसी भी सार्थक स्थापना को रोकती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि निर्यातक की घरेलू बिक्री, यदि कोई है, तो "अंतिम उपयोगकर्ताओं को बिक्री" के स्तर पर नहीं है, बल्कि "एक व्यापारी/वितरक को बिक्री" के स्तर पर है। इसलिए, व्यापार स्तर के कारण किसी समायोजन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(*क*) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

27. प्राधिकारी नोट करते हें कि मेसर्स ग्लास रॉक ने भारत में असंबंधित आयातकों द्वारा अर्जित सकल मार्जिन के बराबर अपनी घरेलू बिक्री के संबंध में लगभग ***% के बराबर व्यापार समायोजन का दावा किया है। मेसर्स ग्लास रॉक ने प्रस्तुत किया कि यह "निजी मुक्त क्षेत्र" व्यवस्था के तहत काम करता है, जिसके तहत संस्थाओं को मिस्र के नियमित घरेलू सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर काम करने वाली संस्थाओं से अलग माना जाता है। मिस्र के घरेलू बाजार में खपत के लिए नियत पी यू सी से जुड़े लेनदेन के लिए, मेसर्स ग्लास रॉक द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

- *घरेलू ग्राहक अल-अक्सा को खरीद आदेश जारी करता है;*

- *अल-अक्सा, रिकॉर्ड के आयातक के रूप में कार्य करते हुए, मिस्र के मुक्त क्षेत्र और सीमा शुल्क नियमों के अनुसार घरेलू ग्राहक को वाणिज्यिक बीजक जारी करता है;*

- *मेसर्स ग्लास रॉक ग्राहक को सामान का निर्माण, निरीक्षण और वितरण करता है, साथ ही सभी तकनीकी लॉजिस्टिक और बिक्री में सहायता भी प्रदान करता है*

28. मेसर्स ग्लास रॉक ने दावा किया है कि अल-अक्सा की भूमिका बीजक कार्यों को पूरा करने तक सीमित है, जबकि सभी मूल वाणिज्यिक, तकनीकी और परिचालन गतिविधियां सीधे मेसर्स ग्लास रॉक द्वारा की जाती हैं। मेसर्स ग्लास रॉक ने आगे कहा कि वह घरेलू बिक्री के संबंध में बीजक जारी करने के लिए अल-अक्सा को ***% कमीशन का भुगतान करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि अल-अक्सा के माध्यम से बीजक वितरणकर्ता या व्यापारी की भागीदारी को प्रतिबिंबित नहीं करता है, बल्कि मुक्त क्षेत्र व्यवस्था के तहत काम करने वाली संस्थाओं के लिए घरेलू बाजार तक पहुंचने के लिए मिस्र के कानून के तहत अनिवार्य अनुपालन तंत्र के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, अंतर्निहित लेनदेन प्रभावी रूप से मेसर्स ग्लास रॉक और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच है, जिसमें अल-अक्सा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड के आयातक के रूप में कार्य करता है।

29. प्राधिकारी नोट करते हें कि पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 2.4 के प्रावधानों के अनुसार, अंतर के लिए अनुमति दी जाएगी जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं। इसलिए, निर्यातक को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी कि लगातार कीमत में अंतर था, चाहे खरीदार अंतिम उपयोगकर्ता हो या व्यापारी और इससे मूल्य तुलनीयता प्रभावित होती है। निर्यातक ने ऐसा स्थापित नहीं किया है और इस खाते पर कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

30. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर लॉट समायोजन के लिए निर्यातक के दावे की सावधानीपूर्वक जांच की है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एलओटी समायोजन के लिए पात्रता स्थापित करने का भार पूरी तरह से निर्यातक पर निर्भर करता है, जिसे स्पष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्शित करना होगा कि घरेलू और निर्यात लेनदेन के बीच व्यापार स्तरों में वास्तविक अंतर मौजूद है, कि ऐसा अंतर मूल्य तुलनीयता को भौतिक रूप से प्रभावित करता है।

31. प्राधिकारी नोट करते हें कि निर्यातक अपने लॉट समायोजन दावे को योग्यता के आधार पर प्रमाणित करने में विफल रहा है। घरेलू स्तर पर कथित रूप से किए गए विशिष्ट बिक्री कार्यों, उससे जुड़े लागतों, या जिस तरीके से ऐसे कार्य निर्यात लेनदेन में किए गए कार्यों से सार्थक रूप से भिन्न हैं, को प्रदर्शित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। समकालीन साक्ष्यों के बिना केवल दावों के आधार पर एल ओ टी का समायोजन नहीं किया जा सकता।

च. 3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

मिस्र के लिए सामान्य मूल्य

<u>मेसर्स ग्लास रॉक इंसुलेशन कंपनी एसएई, एक्सपोर्टर के लिए सामान्य मूल्य</u>

32. मेसर्स ग्लास रॉक इंसुलेशन कंपनी एस ए ई ("ग्लास रॉक" या "निर्यातक") ने पी ओ आई के दौरान भारत को पी यू सी का निर्यात किया है। ग्लास रॉक ने पी ओ आई के दौरान मिस्र के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की भी बिक्री

की। इसलिए, प्राधिकारी ने पी ओ आई के दौरान विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री के आधार पर मेसर्स ग्लास रॉक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

33. एमएस ग्लास रॉक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] एमटी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है और इसने उसी अवधि के दौरान भारत को [***] एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हें कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

34. प्राधिकारी ने एकमात्र भाग लेने वाले निर्यातक मेसर्स ग्लास रॉक से निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया में किए गए दावों के सत्यापन के लिए परिशिष्ट 1, 3क, 4क, 6 और 7 के संबंध में कई अवसरों पर सहायक और सत्यापन दस्तावेज मांगे और व्यावहारिक कठिनाइयों और इसके ई आ रपी सिस्टम के एकीकरण के कारण निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों पर कई विस्तार दिए। हालांकि निर्यातक ने समय-समय पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन प्राधिकारी ने प्रस्तुत की गई जानकारी में लगातार और भौतिक कमियों को देखा। निर्यातकर्ता पूर्ण सत्यापन दस्तावेज, ईआरपी/एसएपी स्क्रीनशॉट, लेखांकन रिकॉर्ड, बिक्री रजिस्टर, उत्पादन रिकॉर्ड, कच्चे माल की खपत का विवरण, लागत आंकड़ों, मालसूची मूल्यांकन कार्य और भारत को घरेलू बिक्री और निर्यात में दावा किए गए समायोजन के लिए सहायक साक्ष्य, जिसमें माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और अन्य खर्च शामिल हैं, प्रदान करने में विफल रहा।

35. प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि कई अनुरोध स्व-प्रमाणित, अधूरी, परीक्षण शेष या वित्तीय विवरणों के साथ ठीक से जुड़े हुए नहीं थे, और कुछ मामलों में, निर्धारित समय सीमा से परे प्रस्तुत किए गए थे। प्राधिकारी द्वारा बार-बार कमी पत्रों, अनुस्मारकों, विस्तारों और अंतिम अवसरों के बावजूद, जिसमें यह स्पष्ट करने का अवसर भी शामिल है कि इसकी प्रतिक्रिया को अस्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, 19 मई 2026 को, निर्यातक जांच के लिए आवश्यक पूर्ण और सत्यापन योग्य जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निर्यातक उचित अवधि के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में विफल रहा, जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की, और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं किया। तदनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में, अनुबंध-।। के तहत, प्राधिकारी ने निर्धारण के उद्देश्य से उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है और मेसर्स ग्लास रॉक को अलग पाटन मार्जिन नहीं देने का निर्णय किया है।

<u>किसी अन्य उत्पादक/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

36. अन्य सभी निर्यातकों और असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

मिस्र के लिए निर्यात कीमत

<u>ग्लास रॉक इंसुलेशन कंपनी एस.ए.ई., एक्सपोर्टर की निर्यात कीमत</u>

37. ग्लास रॉक ने निम्नलिखित चैनल के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का [***] मी.ट. निर्यात किया है:

ग्लास रॉक → आयातक/वितरक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

38. प्राधिकारी नोट करते हें कि निर्यातक ने भारत को बिक्री के संबंध में परिशिष्ट-3क में बताए गए समायोजन को प्रमाणित करने के लिए अपना दावा प्रमाणित करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी कोई सहायक साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ग्लास रॉक प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहा है। इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्लास रॉक को कोई व्यक्तिगत पाटन मार्जिन नहीं दिया जाएगा।

किसी अन्य उत्पादक/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

39. असहयोगी निर्यातकों और अन्य सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

च. 3.2 पाटन मार्जिन

40. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अम.डॉ./मी.ट)	(अम.डॉ./मी.ट)	(अम.डॉ./मी.ट)	(%)	(Range)
मिश्र						
1.	मिस्र गणराज्य से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	65-75

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटन का मात्र अस्तित्व पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और प्राधिकारी को नियम 11 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में भौतिक क्षति के अस्तित्व और संबद्ध आयात और ऐसी क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए। इस मामले में मिस्र से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

ii. यह कि घरेलू उद्योग का क्षति विश्लेषण मिस्र से आयात की मात्रा और आयात के लिए पहुंच कीमत आंकड़ों दोनों में गंभीर तथ्यात्मक अशुद्धियों के कारण मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए आंकड़े मिस्र के एकमात्र निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित आंकड़ों के साथ असंगत हैं, और इसलिए अपूर्ण और अविश्वसनीय अनुमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्यातक ने आगे तर्क दिया कि बताई गई पहुंच कीमतें अविश्वसनीय उतार-चढ़ाव दिखाती हैं और वास्तविक लेनदेन आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं हैं। तदनुसार, इस तरह के गलत आंकड़ों के आधार पर कोई भी क्षति या कीमत प्रभाव विश्लेषण विकृत और बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाएगा, और प्राधिकारी को इसके बजाय सटीक और वस्तुनिष्ठ निर्धारण के लिए सत्यापित निर्यातक आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए।

iii. यह कि घरेलू उद्योग ने 2022-23 में असामान्य रूप से उच्च लाभ अर्जित किया, जो सामान्य परिस्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इसलिए, प्राधिकारी इसके कारणों की जांच कर कर सकते हैं और उचित विश्लेषण के लिए तदनुसार आंकड़ों का आकलन कर सकते हैं।

iv. यह कि एक ही उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दायर दो याचिकाओं के बीच असंगतियां हैं। संदर्भ में दो कार्यवाहियां चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेसड ग्लास वूल के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा और मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए रोल्स में फेसड ग्लास वूल के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच हैं। जबकि निर्णायक समीक्षा में, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के कारण बेहतर प्रदर्शन का दावा किया, लेकिन वर्तमान मामले में, यह जांच की उसी अवधि के दौरान क्षति का दावा करता है। ये विरोधाभासी स्थितियां आंकड़ों को अविश्वसनीय बनाती हैं, और प्राधिकारी क्षति निर्धारित करने के लिए ऐसी जानकारी पर भरोसा करने से पहले स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

v. क्षति की अवधि के अधिकांश समय के लिए मिस्र से आयात बहुत कम रहा और घरेलू उद्योग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए बहुत कम था। घरेलू बिक्री और उत्पादन में गिरावट मिस्र से आयात की प्रवृत्ति से मेल नहीं खाती है और चीन जैसे अन्य देशों से उच्च आयात से अधिक संभावना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान मिस्र से आयात में बताई गई वृद्धि विश्वसनीय आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं है। मिस्र से आयात ने घरेलू उद्योग की बिक्री या बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित नहीं किया है और इसलिए इसे क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

vi इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मिस्र से आयात के कारण कीमत ह्रास या न्यूनीकरण हुआ है, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें आम तौर पर इस अवधि में इसकी लागत से ऊपर या उसके अनुरूप रही हैं। मार्जिन में किसी भी मामूली बदलाव को सामान्य व्यावसायिक कारकों जैसे ब्याज लागत में वृद्धि, कीमतह्रास, आंतरिक मूल्य निर्धारण निर्णय और मालसूची प्रबंधन के कारण माना गया था, न कि आयात के दबाव के कारण। आयात के कम सी आई एफ कीमत का अर्थ पाटन नहीं है, क्योंकि शुल्क और अन्य शुल्क पहुंच कीमत को बढ़ाते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रमुख आर्थिक संकेतक मिस्र से आयात से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। अधिकांश अवधि के दौरान मिस्र के आयात की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम रही और घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने के लिए अपर्याप्त थी। प्रदर्शन में कोई भी परिवर्तन, जिसमें बिक्री या लाभप्रदता शामिल है, अन्य कारकों जैसे कि अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा या आंतरिक व्यावसायिक समायोजन के लिए जिम्मेदार था। तदनुसार, मिस्र से आयात के कारण कोई मूल्य प्रभाव या समग्र क्षति नहीं होती है।

vii. यह कि मिस्र से आयात और घरेलू उद्योग को किसी भी कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। निर्यातक ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में कोई भी बदलाव अन्य कारकों जैसे कि अन्य देशों से आयात में वृद्धि, आंतरिक व्यापार निर्णयों और लागत से संबंधित कारकों के कारण है, न कि मिस्र से आयात के कारण। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आयात और कथित क्षति के बीच किसी स्पष्ट संबंध के अभाव में, ए डी नियमावली के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। तदनुसार, मिस्र से आयात के कारण हुई क्षति का दावा प्रमाणित नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

viii. ग्लासवूल उत्पादों की घरेलू बिक्री में गिरावट आवेदक के अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के भीतर आंतरिक प्रतिस्थापन से भी उत्पन्न हो सकती है। आवेदक ग्लासवूल और रॉकवूल दोनों का निर्माण करता है, जो कई अनुप्रयोगों में कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, विशेष रूप से छत और एच वी ए सी प्रणालियों के लिए थर्मल इन्सुलेशन में। इसलिए, यह संभव है कि ग्लासवूल की बिक्री में आवेदक की कमी रॉकवूल की बिक्री में वृद्धि से ऑफसेट हो गई थी, जिससे समग्र व्यवसाय के किसी भी कथित नुकसान को बेअसर कर दिया गया था।

ix. इस संबंध में, आवेदक के रॉकवूल डिवीजन की बिक्री और लाभप्रदता के रुझानों की एक व्यापक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ग्लासवूल की बिक्री में कथित गिरावट आंतरिक उत्पाद प्रतिस्थापन का परिणाम है या प्रतिस्पर्धी आयात का। मिस्र से आयात के लिए स्व-निर्मित बाजार समायोजन के गलत आरोप को रोकने के लिए ऐसी सत्यापन आवश्यक है।

x. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगातार लागत पर या उससे ऊपर बनी रहती है, जो कीमत ह्रास का कोई प्रमाण नहीं दर्शाती है। मिस्र से आयात के कारण कीमत ह्रास, न्यूनीकरण या कीमत कटौतीका कोई प्रमाण नहीं है।

xi. घरेलू उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि जांच की अवधि के दौरान पीबीटी, पीबीआईटी और आरओआई में भारी गिरावट मुख्य रूप से आंतरिक वित्तीय और लेखांकन कारकों विशेष रूप से, ब्याज लागत और मूल्यह्रास शुल्क में भारी वृद्धि का परिणाम है।

छ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद के आयात में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि देखी गई है। भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में भी वृद्धि देखी गई है।

ii. मांग में संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है।

iii. आयात की मात्रा और पहुंच मूल्य के लिए गलत आंकड़ों पर भरोसा करने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आवेदन के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी किसी भी मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के उद्देश्य से निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित जानकारी पर भरोसा करेंगे इसलिए इसके निर्धारण के लिए सरकारी एजेंसी से आयात डेटा के साथ निर्यातक द्वारा उठाया गया तर्क गलत है।

iv. यह भी स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने बिक्री प्राप्ति और लाभप्रदता में गिरावट का अनुभव किया है।

v. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जब अनुलग्नक में उल्लिखित सभी आर्थिक संकेतकों, जैसे बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता और आर ओ सी ई की समग्र रूप से जांच की जाती है और क्षति दिखाई देती है, तो घरेलू उद्योग के दावे रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़ों द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं। इसके अलावा समग्र आयात महत्वपूर्ण बना हुआ है और कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव डालता है, जिससे घरेलू उद्योग बढ़ी हुई लागतों से उबर नहीं पाता है।

vi आर्थिक मापदंडों से पता चलता है कि लाभ में काफी गिरावट आई है, कीमत में कटौती के कारण बिक्री कीमत बढ़ाने की क्षमता सीमित हो गई है, और मालसूची बढ़ रही है, जो सभी पाटित किए गए आयात के कारण होने वाली भौतिक क्षति की पुष्टि करते हैं।

vii. यह दलील कि घरेलू उद्योग को रॉक वूल या अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पाद से प्रतिस्पर्धा के कारण नुकसान हुआ है, तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। हालांकि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और रॉक वूल के बीच सीमित डिग्री की विनिमेयता मौजूद है, लेकिन प्रदर्शन विशेषताओं, अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों या उपभोक्ता प्राथमिकताओं के संदर्भ में दोनों उत्पाद पूरी तरह से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

viii. पीयूसी और रॉक वूल के बीच का अंतर क्षति की जांच अवधि के दौरान लगातार आयात रुझानों से भी स्पष्ट है। कथित प्रतिस्पर्धा के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं के आयात में निरपेक्ष रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में एक साथ गिरावट देखी गई है। इस तरह की प्रवृत्ति स्पष्ट

रूप से इंगित करती है कि यह संबद्ध देश से पाटित किए गए आयात हैं जिन्होंने घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, न कि रॉक वूल से प्रतिस्पर्धा को।

ix. इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग ने क्षति की जांच की अवधि के दौरान स्थिर वृद्धि दिखाई है, जिससे इस संभावना से इनकार किया गया है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट को मांग में संकुचन या रॉक वूल द्वारा प्रतिस्थापन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रिकॉर्ड पर साक्ष्य इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति सीधे तौर पर अन्य सामग्रियों से प्रतिस्पर्धा के बजाय संबद्ध देश से पीयूसी की बढ़ी हुई मात्रा और कम कीमत वाले आयात से जुड़ी है।

x. हितबद्ध पक्षों ने कहा है कि पाटित किए गए आयात और घरेलू उद्योग को क्षति लगने के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने कहा कि घरेलू उद्योग को पाटित किए गए आयात के कारण क्षति हो रही है। किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि कैसे घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के अलावा अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है। केवल बिना साक्ष्य के दावे किए गए हैं।

छ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

43. एडी नियमावली का नियम 11 एडी नियमों के अनुलग्नक के साथ पढ़ा जाता है कि क्षति निर्धारण में घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत देने वाले कारकों की जांच शामिल होगी,

".... पाटित किए गए आयात की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयात के परिणामस्वरूप प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए....

44. इसके अलावा, कीमतों पर पाटित किए गए आयात के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयात द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण डिग्री तक हुई होगी। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयात के प्रभाव की जांच के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन के परिमाण और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकांकों को नियमों के अनुलग्नक में शामिल किया गया है।

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कुछ मापदंड गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दिखा सकते हैं। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या नहीं।

46. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस से आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

47. जहां तक यह अनुरोध है कि रॉक वूल विचाराधीन उत्पाद के बाजार को प्रतिस्थापित कर रहा है, यह ध्यान दिया जाता है कि ग्लास वूल और रॉक वूल अलग-अलग उत्पाद हैं और उन्हें अलग-अलग कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि कुछ अनुप्रयोगों को छोड़कर प्रतिस्थापनीयता सीमित है। यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों यह प्रमाणित करने में विफल रहे हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति रॉकवूल/स्टोनवूल के कारण हुई है।

48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतिवादों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित करता है।

छ. 3.1 पाटित किए गए आयात का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. <u>मांग का आकलन</u>

49. पाटित किए गए आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित किए गए आयात में एक महत्वपूर्ण वृद्धि या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष हुई है, । मांग को सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी देशों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया गया है।

विवरण	**यू ओ एम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पी ओ आई**
मिश्र से आयात	मी.ट.	57	83	40	342
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	716	1,879	1,962	1,532
कुल आयात	मी.ट.	773	1,962	2,002	1,874
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	108	90	90
कुल मांग/ खपत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	124	108	107

** डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार आयात, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग की बिक्री*

50. उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2022-23 में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 और पी ओ आई में अधिक है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि पिछले वर्षों की तुलना में पी ओ आई में संबद्ध देश से आयात में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2022-23 में वृद्धि देखी गई है, लेकिन वर्ष 2023-24 में गिरावट आई है और फिर पी ओ आई में लगभग स्थिर रही है।

ii. <u>निरपेक्ष और सापेक्षिक रूप से आयात</u>

51. पाटित किए गए आयात की मात्रा के संबंध में, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष या पूर्ण रूप से पाटित किए गए आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि में आयात की मात्रा इस प्रकार थी:

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
संबद्ध आयात	मी.ट.	57	83	40	342
अन्य आयात	मी.ट.	716	1,879	1,962	1,532
कुल आयात	मी.ट.	773	1,962	2,002	1,874
संबंधित आयात के संबंध में					

घरेलू उत्पादन	%	***%	***%	***%	***%
घरेलू उत्पादन	रेंज	0-10%	0-10	0-10	0-10
मांग/खपत	%	***%	***%	***%	***%
मांग/खपत	रेंज	0-10%	0-10	0-10	0-10
कुल आयात	%	***%	***%	***%	***%
कुल आयात	Range	0-10%	0-10%	0-10%	10-20%

** डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार आयात, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार घरेलू उत्पादन*

52. प्राधिकारी नोट करते हें कि:

i. आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में संबद्ध देश से आयात में काफी वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष में से बढ़कर पी ओ आई में हो गया।

iii. मांग के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष में से बढ़कर पी ओ आई में हो गया।

छ. 3.2 पाटित किए गए आयातों का कीमत प्रभाव

53. नियमों के अनुबंध II (ii) के संदर्भ में, पाटित किए गए आयात के कीमतों पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित किए गए आयात द्वारा भारत में समान उत्पाद की तुलना में कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी हद तक हो गई होती।

क. कीमत में कटौती

54. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है, प्राधिकारी ने आयात की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	**पीओआई**
निवल बिक्री प्राप्ति	रू / मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रू / मी.ट.	89,021
कीमत कटौती	रू / मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	80-90

* डीजीसीआई और एस आंकड़ों के अनुसार पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग आंकड़ों के अनुसार निवल बिक्री प्राप्ति

55. प्राधिकारी नोट करते हें कि संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। संबद्ध देश से कीमत कटौती न केवल सकारात्मक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित किए गए आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण हद तक कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत को महत्वपूर्ण हद तक कम करना है या कीमत में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में परिवर्तन की जांच की है।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पहुंच मूल्य	₹/मी.ट.	84,510	1,19,789	1,04,110	89,021
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	142	123	105
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	105	118	118
बिक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	104	121

** डीजीसीआई और एस आंकड़ों के अनुसार पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग आंकड़ों के अनुसार निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री की लागत*

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात का पहुंच मूल्य लगातार घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

58. यह भी नोट किया जाता है कि हालांकि क्षति की अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री की लागत में वृद्धि हुई, लेकिन निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि नहीं हुई। बिक्री की लागत में वृद्धि के समान अनुपात में नहीं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद अपने बिक्री कीमत को बढ़ाने में सक्षम नहीं था। यह भी नोट किया गया है कि पूरे क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है।

छ. 3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

59. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में पाटित किए गए आयात के संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव के संबंध में, नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयात के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। तदनुसार, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच की गई है।

ग उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

60. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पान (पीयूसी)	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	108	92	91
क्षमता उपयोग	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	106	98
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	108	90	90
निर्यात बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	155	168	175
आबद्ध खपत	मी.ट.	Nil	Nil	Nil	Nil
प्रवृति	सूचीबद्ध	Nil	Nil	Nil	Nil

* घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार आंकड़े

61. यह नोट किया गया है कि क्षति की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्री दोनों में गिरावट आई है। यह भी नोट किया गया है कि क्षति की अवधि में क्षमता उपयोग में मामूली कमी आई है।

घ. <u>मांग में बाजार हिस्सेदारी</u>

62. आयात, घरेलू बिक्री और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	87	83	84
संबद्ध देश	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	66	564
अन्य देश	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	212	253	200

63. प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि क्षति की अवधि में संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

64. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी क्षति की अवधि में मामूली वृद्धि के साथ कम हो गई है। यह आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में कम है।

65. आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।

ड. <u>मालसूची</u>

66. संबद्ध वस्तुओं की सूची से संबंधित आंकड़ों को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	109	259	340

* घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार मालसूची

67. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हें कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग की सूची में काफी वृद्धि हुई है।

च. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

68. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	यूओएम	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	120	116
प्रति दिन उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	112	94	94
प्रति कर्मचारी उतपादकता	मी.ट./संख्या	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	114	86	84
वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	75	99

* घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार आंकड़े

69. यह नोट किया गया है कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है और 2023-24 की तुलना में पी ओ आई में थोड़ी गिरावट आई है। उन्हें दिए जाने वाले वेतन में 2023-24 में गिरावट आई है, उसके बाद पीओआई में वृद्धि हुई है।

छ. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

70. वास्तविक लाभ/हानि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण, नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूओएम	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	पीओआई
बिक्री की लागत	**₹**/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	104	121
निवल बिक्री प्राप्ति	**₹**/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	105	118	118

लाभ / (हानि)	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	644	613	19
लाभ / (हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	694	550	17
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	426	355	63
नियोजित पूंजी पर आय	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	576	872	48

** घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार आंकड़े*

71. प्राधिकारी नोट करते हें कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2022-23 में काफी सुधार हुआ और 2023-24 में यह उच्च स्तर पर बना रहा। हालाँकि, पी ओ आई में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई।

72. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में बिक्री की लागत बढ़ गई है और यह पीओआई में सबसे अधिक थी।

73. प्राधिकारी नोट करते हें कि पी ओ आई में घरेलू उद्योग का आर ओ सी ई काफी कम था।

ज. <u>वृद्धि</u>

74. प्राधिकारी नोट करते हें कि लाभप्रदता के साथ-साथ आर ओ सी ई के संदर्भ में घरेलू उद्योग में नकारात्मक वृद्धि हुई थी।

विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	0%	0%	0%
उत्पादन	%	8%	-15%	-1%
घरेलू बिक्री	%	8%	-17%	0.5%
प्रति इकाई लाभ / (हानि)	%	544%	-5%	-97%
नकद लाभ	%	326%	-17%	-82%
नियोजित पूंजी पर आय	%	476%	51%	-95%

झ. <u>पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता</u>:

75. प्राधिकारी नोट करते हें कि घरेलू उद्योग ने 2020 में अंतिम जांच परिणामों में चीन जन.गण. के खिलाफ मूल जांच में उपाय लागू होने के बाद लाभ अर्जित किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि बाजार में काफी कम कीमत वाले आयात की उपस्थिति ने किसी भी अतिरिक्त क्षमता विस्तार के लिए निवेश बढ़ाने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि वर्तमान परिदृश्य जारी रहता है, तो इसका निवेश अत्यधिक अप्रयुक्त रहने की संभावना है और कोई नया निवेश नहीं आएगा।

झ. <u>पाटन की मात्रा</u>:

76. पाटन का परिमाण एक संकेतक है कि पाटित किए गए आयात घरेलू उद्योग को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

ट <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:</u>

77. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयात की पहुंच कीमत संबद्ध वस्तुओं के बिक्री कीमत से कम है। घरेलू उद्योग बाजार में उत्पाद का एकमात्र घरेलू उत्पादक है। बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित किए गए आयात का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, आयात की कीमत बिक्री की लागत और घरेलू उद्योग के एन आई पी से भी कम है। इसने घरेलू उद्योग को बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतें नहीं बढ़ाने के लिए विवश किया है।

78. प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती मांग है। संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रहा है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है। इसके अलावा, संबद्ध देश से पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रास/न्यूनकारी प्रभाव डाला है जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ है। इस प्रकार, मिस्र से आयातित वस्तुओं ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

छ. 3.3 क्षति पर विश्लेषण

79. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

i. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी संबद्ध आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

ii. संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।

iii. संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत लगातार घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

iv. क्षति की अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री की लागत में वृद्धि हुई; निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि नहीं हुई। बिक्री की लागत में वृद्धि के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

v. क्षति की अवधि के दौरान पूरे घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में पहुंच मूल्य कम रहा है।

vi वर्ष 2022-23 में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ गई है और आधार वर्ष की तुलना में 2023-24 और पीओआई में अधिक बनी हुई है। पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में पीओआई में संबद्ध देश से आयात में काफी वृद्धि हुई है।

vii. क्षति की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्री दोनों में गिरावट आई है।

viii. घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में यह उच्चतम थी।

ix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2022-23 में काफी सुधार हुआ और 2023-24 में यह उच्च स्तर पर बनी रही। हालांकि, पी ओ आई में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई।

x. घरेलू उद्योग का आर ओ सी ई जांच की अवधि में काफी कम था।

xi. संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

<u>क्षति मार्जिन</u>

80. प्राधिकारी ने यथासंशोधित, अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं लगाया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित क्षतिरहत कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसे अपनाया जा रहा है।

81. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

82. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	(%)	(रेंज)
मिस्र						
1.	मिस्र के सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	30-40

ज. कारणात्मक संपर्क

ज.1 गैर-आपरोण विश्लेष्ण और कारणात्मक संपर्क

83. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति की मौजूदगी, मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों को छोड़कर किसी भी कारक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसा कि नियमावली के तहत सूचीबद्ध है:

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

84. चीन को को छोड़कर असंबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नगण्य है और इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती। जहां तक चीन जन.गण से आयात का संबंध है, डीजीटीआर ने मौजूदा शुल्क को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश की पहुंच कीमत असंबद्ध देश, यानी चीन जन.गण. की पहुंच कीमत से कम है।

ख) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

85. संबंधित उत्पाद की मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसलिए, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का एक संभावित कारण नहीं है।

ग) खपत का पैटर्न

86. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत नहीं मिलता है क्योंकि ग्राहकों ने घरेलू उद्योग से खरीद जारी रखी है और साथ ही विचाराधीन उत्पाद का आयात भी किया है।

घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

87. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं है, जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान दिया होगा क्योंकि कच्ची सामग्री और संबद्ध सामान मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास:

88. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: प्रौद्योगिकी में विकास भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भारत में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उत्पादित और निर्यातित सामानों की समान वस्तु समान है।

च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

89. यह नोट किया जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता लगभग समान रही है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

90. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने केवल घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर विचार किया है। अत:, निर्यात बाजार में निष्पादन ने किसी भी तरह से वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया है।

91. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दिखाते हैं कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति हुई होगी।

झ. <u>घरेलू उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

झ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

92. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. ग्लास वूल के लिए भारतीय बाजार में एकल घरेलू उत्पादक, यू.पी ट्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड का प्रभुत्व है, जो निर्विवाद और लगभग एकाधिकार स्थिति रखता है। बाजार में न्यूनतम प्रतिस्पर्धी संतुलन बनाए रखने में मिस्र से आयात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2024 के दौरान, मिस्र से कुल आयात लगभग 392 एमटी था, जो घरेलू उत्पादक की वार्षिक बिक्री का केवल 3.27% था। इस तरह की सीमांत हिस्सेदारी आर्थिक रूप से महत्वहीन है और एक प्रमुख बाजार स्थिति रखने वाले उत्पादक पर कोई वास्तविक क्षति पहुंचाने में स्पष्ट रूप से अक्षम है। क्षति पहुंचाने के बजाय, इस तरह के सीमित आयात अत्यधिक कीमत निर्धारण को कम करने और उचित बाजार व्यवहार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो घरेलू उत्पादक को असीमित मूल्य निर्धारण शक्ति का लाभ मिलेगा, प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी और अंततः उपभोक्ता और सार्वजनिक हित को नुकसान होगा।

ii. जीएपीएल जैसे छोटे और वैध एमएसएमई आयातकों के माध्यम से मिस्र से प्रतिस्पर्धी कीमत वाले आयात की उपस्थिति बाजार में कीमत निर्धारण की मात्रा सुनिश्चित करती है और निचले स्तर के उद्योगों विशेष रूप से निर्माण, एचवीएसी और औद्योगिक इन्सुलेशन क्षेत्रों को किफायती इनपुट तक पहुंच प्रदान करती है।

iii. ग्लास वूल इन्सुलेशन ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में सीधे योगदान देने वाली एक महत्वपूर्ण सामग्री है। इस तरह के इन्सुलेशन उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने से भारत वैश्विक ढांचे के तहत ऊर्जा दक्षता और जलवायु जिम्मेदारी पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की दिशा में प्रगति कर सकता है। मिस्र से ग्लास वूल के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनपेक्षित परिणाम लागत में वृद्धि और इस प्रकार पर्यावरण के लिए लाभकारी उत्पाद की खपत में कमी होगी।

iv. इसके विपरीत, कम मात्रा वाले, प्रतिस्पर्धी कीमत वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से आपूर्ति स्रोत संकुचित हो जाएंगे, उपभोक्ता विकल्प प्रतिबंधित हो जाएंगे और एक ही कंपनी में बाजार शक्ति समेकित हो जाएगी। यह परिणाम न तो पाटनरोधी कानून के उद्देश्य को पूरा करेगा, जिसका उद्देश्य उचित व्यापार को बहाल करना है, न ही इसे प्रतिबंधित करना है और न ही सार्वजनिक हित के विचारों के साथ संरेखित करना है।

v. मिस्र से आयात की नगण्य मात्रा और केवल जांच की अवधि में और घरेलू बाजार पर उनके महत्वहीन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए शुल्क लगाने की अवधि पांच साल से कम तक सीमित होनी चाहिए। एक वर्ष के आयात के आधार पर 5 वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

झ. 2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

93. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उत्पादकों के पास लगभग 100% भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है।

ii. प्रस्तावित शुल्क का अंतिम उत्पाद कीमत पर 1% से भी कम प्रभाव पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से नगण्य है और निचले स्तर के प्रयोक्ताओं या उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा।

झ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके। पाटनरोधी उपायों को लगाना संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि, यह एक समान अवसर सुनिश्चित करने की एक प्रणाली है।

95. ये शुल्क भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसके बजाय, वे कंपनियों को पाटित कीमतों पर सामान बेचकर अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकते हैं। पाटनरोधी उपाय उचित व्यापार की रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच जारी रहे।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को एक समान अवसर मिलेगा जिससे प्रयोक्ता उद्योग को भारतीय उद्योग से खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा।

97. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी पक्षकार ने निचले स्तर के उत्पाद की कीमत पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमतों पर किया जाए। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क एक उपचारात्मक उपाय है जो भारत में आयात के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने पर केंद्रित है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में आपूर्ति की कमी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयात संबद्ध देश के अलावा अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है।

99. प्राधिकारी यह पाते हैं कि सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में तर्कों को विश्वसनीय साक्ष्य और मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। समर्थित आंकड़ों के बिना सामान्य दावे सार्वजनिक हित के निर्धारण का आधार नहीं बन सकते हैं।

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक हित के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी उचित प्रतिस्पर्धा, सामानों की उपलब्धता और समग्र आर्थिक कल्याण पर प्रभाव पर विचार करते हैं।

101. प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित के संबंध में सभी अनुरोधों पर विचार किया है और नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का मूल उद्देश्य घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार परिपाटियों के कारण होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा स्थापित की जा सके।

ञ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्रकटन विवरण पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से *ऑडी अल्टरम पार्टेम* के सिद्धांत का, जिससे वर्तमान प्रकटन अभ्यास मौलिक रूप से दोषपूर्ण हो जाता है।

ii. विनाइल एफएसके फेसिंग वाले ग्लास वूल को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए या मार्जिन गणना के लिए घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद के साथ साथ विनाइल एफएसके फेसिंग वाले निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की

तुलना करनी चाहिए। फोल्डेड फ्लेंज "वी-एफएसके फोल्डेड" वाले विनाइल फ़ॉइल स्क्रिम क्राफ्ट के संबंध में, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग के पास ऐसे उत्पादों के निर्माण की क्षमता है। लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक वाणिज्यिक उत्पादन और व्यापारी बिक्री के संबंध में कोई निष्कर्ष प्रदान नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने व्यापार उपचार जांच के लिए परिचालन परिपाटियों के मैनुअल के पैरा 3.10 का खंडन किया है, जिसके लिए केवल विनिर्माण क्षमता के बजाय वास्तविक उत्पादन और वाणिज्यिक बिक्री की आवश्यकता होती है।

iii. निर्यातक का नाम, अर्थात ग्लास रॉक इंसुलेशन कंपनी एसएई का नाम, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क तालिका में अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि इसे "मिस्र से सभी उत्पादक/निर्यातक" की अवशिष्ट श्रेणी में दर्शाया जाना चाहिए, क्योंकि निर्यातक मिस्र से संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक और निर्यातक है और उसने पूरी जांच के दौरान सक्रिय रूप से सहयोग किया है। निर्यातक ने कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया, प्रश्नावली के उत्तर दायर किए, कमीपूर्ण पत्रों का उत्तर दिया है, समय-समय पर सूचना और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए है और अपनी क्षमता के अनुसार प्राधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयास किए।

iv. निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वह एकीकृत लेखांकन, ईआरपी, या एसएपी प्रणाली नहीं रखता है, और इसके बजाय आंतरिक रूप से बनाए रखे गए रिकॉर्ड और व्यवसाय के सामान्य क्रम में तैयार किया गया एक्सेल-आधारित संकलन के माध्यम से उत्पादन, मालूसची, खपत, लागत और वित्तीय सूचना रिकॉर्ड करता है। परिणामस्वरूप, जांच के दौरान अनुरोध की गई प्रणाली आधारित रिपोर्ट, ईआरपी स्क्रीनशॉट और स्वचालित डेटाबेस उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं, जो किसी भी सहयोग की कमी या सूचना को रोकने के बजाय कंपनी की रिकॉर्ड रखने की परिपाटियों का परिणाम है।

v. निर्यातक ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि सूचना कंपनी द्वारा उचित रूप से बनाए रखे गए सर्वोत्तम उपलब्ध रिकॉर्ड पर आधारित थी। उसने यह भी तर्क दिया कि यदि प्राधिकारी सामान्य कीमत निर्धारण या निर्यात कीमत समायोजन के किसी भी पहलू को अपर्याप्त रूप से प्रमाणित मानते हैं, तो उपलब्ध तथ्यों का अनुप्रयोग केवल उन विशिष्ट तत्वों तक ही सीमित होना चाहिए। निर्यातक ने यह भी तर्क दिया कि मिस्र से भारत में निर्यात किए गए संबद्ध सामानों के वास्तविक सीआईएफ आयात कीमतों की अवहेलना करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये नमूना निर्यात बीजकों द्वारा समर्थित हैं और भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते हैं। चूंकि वास्तविक सीआईएफ कीमत और आयात मात्रा रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, इसलिए तदनुरूपी पहुंच मूल्य को वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित किया जा सकता है, और इसलिए उपलब्ध तथ्यों का कोई भी अनुप्रयोग क्षति मार्जिन विश्लेषण के लिए पहुंच मूल्य के निर्धारण तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

vi. मिस्र के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति का प्रकटन किया जाना चाहिए। यह प्रकटन निर्यातक को अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले प्राधिकारी के प्रस्तावित निर्धारण के आधार पर समझने और टिप्पणी करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

vii. अधिकांश क्षति अवधि के लिए संबद्ध देश से आयात नगण्य रहा और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाने में वाणिज्यिक रूप से अक्षम था। तथापि, प्रकटन विवरण इस बात की जांच नहीं करता है कि कैसे कुल आयात और घरेलू मांग का केवल एक महत्वहीन हिस्सा आयात कथित क्षति का कारण बन सकता है, न ही यह निर्यातकों के अनुरोधों को हल करता है। ऐसी जांच के अभाव में, प्रस्तावित कारणात्मक संपर्क अप्रमाणित रहता है।

viii. यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटन विवरण से संबद्ध देश से आयात के कारण किसी भी कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण की मौजूदगी सिद्ध नहीं होती है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगातार लागत से ऊपर या उसके करीब बनी हुई है, जो कीमत ह्रास का कोई प्रमाण नहीं दर्शाता है।

ix. यह कि प्राधिकारी संबद्ध आयात की मात्रा और कीमत प्रभावों और अन्य देशों से आयात के प्रभाव की पर्याप्त जांच करने में विफल रहे थे। यह भी तर्क दिया गया है कि क्षति विश्लेषण ने संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों के बीच कोई सह-संबंध सिद्ध नहीं किया। आगे यह तर्क दिया गया है कि रॉक वूल उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, आंतरिक व्यापार निर्णय, अधिग्रहण के बाद पोर्टफोलियो पुनर्गठन, और अन्य बाजार से संबंधित कारकों ने क्षति और गैर-आरोपण विश्लेषण के वैकल्पिक कारण थे, जिसकी पर्याप्त जांच नहीं की गई थी।

x. निर्यातक ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद के घटनाक्रम, जिनमें अधिग्रहण, क्षमता विस्तार और घरेलू उद्योग के मूल समूह यानी सेंट-गोबेन द्वारा किए गए नए निवेश शामिल हैं, इन्सुलेशन व्यवसाय में निरंतर वृद्धि, लाभप्रदता और विश्वास का संकेत देते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के घटनाक्रम निरंतर वास्तविक क्षति के दावे के साथ असंगत हैं और क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन करते समय प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए थी।

xi. निर्यातक संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक और निर्यातक है। याचिका ने सभी आयातों को केवल तीन पीसीएन में गलत तरीके से वर्गीकृत किया और वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग के साथ फेस ग्लास वूल के आयात को डब्ल्यूएमपी-50/डब्ल्यूएमएसजी-50 उत्पादों के रूप में माना, जबकि निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान किसी भी डब्ल्यूएमपी-50/डब्ल्यूएमएसजी-50 फेसिंग उत्पादों का निर्यात नहीं किया था। इस गलत वर्गीकरण ने कीमत कटौती, क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन के पीसीएन-वार विश्लेषण को विकृत कर दिया है। वी-एफएसके फोल्ड और डब्ल्यूएमपी-50/डब्ल्यूएमएसजी-50 के फलक अपनी सामग्री संरचना, संरचनात्मक डिजाइन, सुदृढीकरण और निष्पादन विशेषताओं में काफी भिन्न होते हैं। वी-एफएसके फोल्ड में विनाइल फ़ॉइल, फाइबरग्लास स्क्रीम और क्राफ्ट बैकिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि डब्ल्यूएमपी-50/डब्ल्यूएमएसजी-50 में मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलीन/पॉलिएस्टर फेसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये उत्पाद विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं, अनुप्रयोगों और निष्पादन विनिर्देशों को पूरा करते हैं और वास्तविक रूप से अलग-अलग कीमतों पर बेचे जाते हैं। इसलिए, वी-एफएसके फोल्डेड आयात को डब्ल्यूएमपी-50/डब्ल्यूएमएसजी-50 उत्पादों के रूप में मानने से उत्पाद-से-उत्पाद की तुलना गलत और विकृत हो जाती है।

अ. 2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

103. घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि निर्यातक की प्रतिक्रिया को सही ढंग से नजरअंदाज किया गया है क्योंकि निर्यातक सत्यापन के लिए अपनी सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहा और इसलिए, उसके आंकड़े विश्वसनीय नहीं है।

ii. यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रकटन विवरण जारी होने के बाद निर्यातक द्वारा दायर किए गए किसी भी नए आंकड़ों, सूचना या संशोधित अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

iii. इस चरण में नई सूचना की स्वीकृति उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों और डीजीटीआर द्वारा कई जांचों में अपनाई गई सुसंगत परिपाटी के विपरीत होगी, जिसमें प्रकटन विवरण साक्ष्य रिकॉर्ड को बंद कर देता है और हितबद्ध पक्षकारों को केवल तथ्यों और निष्कर्षों पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करता है जो पहले से ही प्रकट किए गए हैं।

अ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 16 के अनुपालन का आकलन इस आधार पर किया जाना है कि क्या हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों की सूचना दी गई थी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया गया था। वर्तमान जांच में, प्रकटन विवरण ने इस उद्देश्य को पूरा किया और हितबद्ध पक्षकारों को प्रभावी ढंग से सुने जाने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में रखे गए सभी अनुरोधों,

साक्ष्यों और टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया है, जिसमें प्रकटन विवरण के अनुसार दायर किए गए भी शामिल हैं, और इन अंतिम जांच परिणामों में संगत मुद्दों को हल किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते हैं कि नियम 16 या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ है।

ii. नियम 16 के तहत आवश्यकता यह है कि हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिसने प्राधिकारी के निर्णय का आधार बनाया है और अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले उस पर टिप्पणी करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने इन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और कार्यवाही के हर चरण में पूर्ण पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित की है।

iii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया, वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग वाले उत्पादों को शामिल करने की जांच के दौरान विस्तार से की गई थी, जबकि विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया था और बाद में प्रकटन विवरण में हल किया गया था। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में रखे गए अनुरोधों और साक्ष्य पर विचार किया है और उन्हें कोई नई सूचना नहीं मिली है जो उसके पहले के निर्धारण पर पुनर्विचार करने के लिए आवश्यक हो। प्राधिकारी का यह मानना जारी है कि विचाराधीन उत्पाद और जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति उचित तुलना और पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है।

iv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सूचना का सत्यापन जांच प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए भरोसा किए गए आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना को सत्यापित करने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थितियों में, उत्पादक/निर्यातक को कार्यवाही में उसकी भागीदारी के आधार पर व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सहयोगी नहीं माना जा सकता है।

v. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपलब्ध तथ्यों का अनुप्रयोग आवश्यक हो जाता है जहां निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना सत्यापन योग्य नहीं है। उपलब्ध तथ्यों पर निर्भरता की सीमा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाए गए तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जहां व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक अंतर्निहित सूचना सत्यापन योग्य नहीं है, वहां प्राधिकारी निर्यातक विशिष्ट मार्जिन निर्धारित करने या व्यक्तिगत शुल्क दरों की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं हैं।

vi. वास्तविक सीआईएफ निर्यात कीमतों और आयात मात्रा के प्रयोग के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन रिकॉर्ड में उपलब्ध सत्यापित और विश्वसनीय सूचना के आधार पर किए गए एकीकृत मूल्यांकन का हिस्सा हैं। केवल कुछ आयात संबंधी सूचना की उपलब्धता, अपने आप में, व्यक्तिगत मार्जिन या व्यक्तिगत शुल्क दरों के निर्धारण की गारंटी नहीं देती है जहां समग्र निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना अप्रमाणित रहती है। तदनुसार, प्राधिकारी को अनुरोधों में कोई औचित्य नहीं मिलता है और नियमावली के प्रावधानों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार कार्यवाही की है।

vii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति के प्रकटन का अनुरोध गलत है। जैसा कि इन जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है, उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना को सत्यापित नहीं किया जा सका और इसलिए, उत्पादक/निर्यातक को मार्जिन के व्यक्तिगत निर्धारण के लिए पात्र नहीं माना गया है। मिस्र के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति से संबंधित तर्क के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी ने एसजीए

और उचित लाभ सहित घरेलू उद्योग की समायोजित लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है। निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के प्रावधानों और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार कार्यवाही की है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार वर्तमान निर्धारण का आधार बनाने वाले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया है।

viii. क्षति और कारणात्मक संपर्क से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मात्रा प्रभाव, कीमत प्रभाव, क्षति मापदंडों और कारणात्मक संपर्क की विस्तृत जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति का निर्धारण अलग-अलग मापदंडों के चयनात्मक विचार पर आधारित नहीं हो सकता है और क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के आधार पर इसका आकलन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयात की प्रवृत्ति, घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर परिणामी प्रभाव की जांच की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात या अन्य बाजार विकास की मौजूदगी खुद ही, संबद्ध देश से पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को नकारती नहीं है।

ix. रॉक वूल उत्पादों से प्रतिस्पर्धा और अन्य बाजार से संबंधित कारकों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों की जांच के दौरान विधिवत जांच की गई है। तथापि, यह सिद्ध करने के लिए कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है कि ये कारक इस तरह की प्रकृति और परिमाण के थे कि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क टूट गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुसार गैर-आरोपण विश्लेषण किया गया है और पाटित आयातों के अलावा सभी ज्ञात कारकों की जांच की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे कारकों के कारण होने वाली क्षति को संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता है कि क्षति और कारणात्मक संपर्क विश्लेषण में कमी है या गैर-आरोपण विश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं को वर्तमान जांच में पूरा नहीं किया गया है।

x. वी-एफएसके फोल्डेड के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास ग्राहक की आवश्यकताओं और ऑर्डर मात्रा के आधार पर, फोल्डेड फ्लेंज (वी-एफएसके फोल्डेड) के साथ विनाइल फॉइल स्क्रिम क्राफ्ट सहित किसी भी प्रकार की फेसिंग के साथ उत्पादों का निर्माण करने की क्षमता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एक फेसिंग परत जोड़ने से विचारधीन उत्पाद (पीयूसी) की बुनियादी विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल की संरचना या मूल तकनीकी निष्पादन विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता है। यह केवल उत्पादन के अंतिम चरण में किया जाने वाला एक अंतिम चरण है और इसे ग्राहक द्वारा अनुरोध किए गए फेसिंग के प्रकार के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

xi. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र में आयातित फेस ग्लास वूल की तुलना वी-एफएसके फोल्डेड फेसिंग और घरेलू स्तर पर उत्पादित फेस ग्लास वूल के साथ व्हाइट मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलीन-50 (डब्ल्यूएमपी-50)/ डब्ल्यूएमएसजी 50 फेसिंग के बीच केवल शुरुआत के चरण में *प्रथम दृष्टया* मूल्यांकन के लिए थी। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अंतिम विश्लेषण के लिए, प्राधिकारी ने वी एफएसके आयात की तुलना जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए निकटतम पीसीएन के साथ की है।

ट. <u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

104. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेसड ग्लास वूल" है, जिसे फाइबरग्लास वूल (इंसुलेशन सामग्री) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल के रूप में भी जाना जाता है और इसमें "फ्लैट/टेबलुलर फॉर्म में फेसड ग्लास वूल" जैसे टाइल, शीट या बोर्ड और ग्लास वूल ऑस्टिकल सीलिंग टाइल शामिल नहीं हैं।

ii. घरेलू उद्योग ने भारत में आयात की जा रही वस्तुओं के समान वस्तुओं का उत्पादन किया है।

iii. वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र मैसर्स यू.पी ट्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100% है।

iv. आवेदक न तो निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध है और न ही उसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है। आवेदक नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है और नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।

v. सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है क्योंकि मिस्र के एकमात्र सहयोगी उत्पादक को इस अंतिम जांच परिणाम के संगत शीर्ष में उल्लिखित कारणों के कारण जांच प्रक्रिया के दौरान असहयोगी माना गया है।

vi. निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

vii. कानूनी आवश्यकताओं और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुसार घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति विश्लेषण किया गया है।

viii. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है क्योंकि:

क. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी संबद्ध आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती की है।

ग. संबद्ध देश से आयातों का पहुंच मूल्य लगातार घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

घ. क्षति की अवधि के दौरान निवल बिक्री वसूली और बिक्री की लागत में वृद्धि हुई; निवल बिक्री वसूली में वृद्धि नहीं हुई। बिक्री की लागत में वृद्धि के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

ड. पहुंच मूल्य पूरी क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम रहता है।

च. वर्ष 2022-23 में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ गई है और आधार वर्ष की तुलना में 2023-24 और जांच की अवधि में अधिक बनी हुई है। पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयात में काफी वृद्धि हुई है।

छ. क्षति की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्री दोनों में गिरावट आई है।

ज. घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में यह उच्चतम थी।

झ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2022-23 में काफी सुधार हुआ और 2023-24 में यह उच्च स्तर पर बना रहा। तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई।

ञ. घरेलू उद्योग का आरओसी जांच की अवधि में काफी कम था।

ix. संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

x. निर्धारित क्षति का अंतर सकारात्मक और काफी है।

xi. घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश द्वारा भारतीय बाजार में पाटन के कारण हुई है।

xii. पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और जांच करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

106. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर नीचे दी शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क शीर्ष/उप शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7019 9010 7019 9090 7019 1900 7019 3900 7019 5900	रोल्स में फेस्ड ग्लास वूल*	मिस्र	मिस्र सहित कोई भी देश	कोई	468	यूएसडॉ.	एमटी
2	- वही -	- वही -	मिस्र को छोड़कर कोई देश	मिस्र	कोई	468	यूएसडॉ.	एमटी

** "रोल्स में फेस्ड ग्लास वूल" जिसे फाइबरग्लास वूल (इंसुलेशन सामग्री) या रेज़िन बॉन्डेड ग्लास वूल के रूप में भी जाना जाता है, में "फ्लैट/सारणीबद्ध रूप में फेस ग्लास वूल" जैसे टाइल, शीट या बोर्ड और ग्लास वूल ऑस्टिकल सीलिंग टाइल शामिल नहीं हैं।*

ठ. आगे की प्रक्रिया

107. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES]

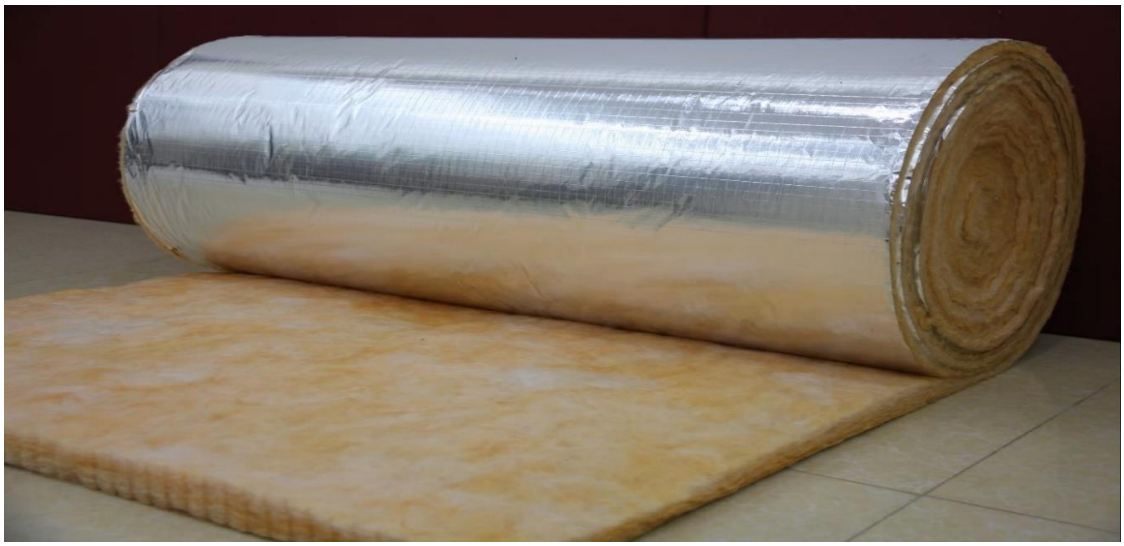
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2026

FINAL FINDINGS

No. – AD(OI) – 16/2025

Anti-dumping investigation concerning imports of Faced Glass Wool in Rolls originating in and exported from Egypt – reg.



Pictographic presentation of Faced Glass Wool in Rolls

F. No. 6/18/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "Rules" or "AD Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), in accordance with Act / Rules for imposition of anti-dumping duty on imports of Faced Glass Wool in Rolls (hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from Egypt (hereinafter referred to as the "subject country").

2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued *vide* Initiation Notification F. No. 6/18/2025-DGTR, dated 16th June 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti -dumping investigation into imports of the product under consideration from the subject country, in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

3.1 Initiation

i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 of the Rules.

ii. In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a Notification No. 6/18/2025-DGTR dated 16th June, 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject country.

iii. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from Egypt, known importers and users in India, and the other interested parties, as per the email addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

3.2 Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, whenever requested.

3.3 Participation by Producer/Exporter

i. The Authority sent exporter questionnaire to M/s GlassRock Insulation Company S.A.E., the known producer/ exporter in Egypt, as per information provided by the domestic industry in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

ii. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the exporter questionnaire within the prescribed time limit.

iii. In response to initiation of the subject investigation, M/s GlassRock Insulation Company S.A.E**.** producers / exporters from Egypt responded by filing Exporter's Questionnaire response.

3.4 Participation by Importer / User

i. The Authority sent Importer and User Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India as per information provided by the domestic industry calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

a. M/s Tranquil
b. M/s B.M. Insulations Pvt Ltd
c. M/s Green Eco Engineers
d. M/s Owens Corning India Pvt Ltd
e. M/s Sipla Solutions
f. M/s Aarkay Industries
g. M/s All Arch India Pvt Ltd
h. M/s Avon Refractories Pvt Ltd
i. M/s Rewo International
j. M/s Sun Enterprises
k. M/s Oberoi Constructions Ltd
l. M/s Incline Realty Private Limited
m. M/s Jayswal Agencies

ii. In response to the initiation of the subject investigation, M/s. Greenr Acoustics Private Limited (GAPL), importer/user has responded by filing questionnaire response. Navbharat Insulation & Engg. Co., importer/user has requested to be registered as an interested party.

iii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject country, all the known exporters/producers, importers/users and producers in India. The following party responded by fling the Economic Interest Questionnaire:

i. M/S. Greenr Acoustics Private Limited

3.5 Period of Investigation and Injury Period

i. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st January 2024 to 31st December 2024 (12 months). The injury investigation period for the present investigation is April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024 and the POI.

3.6 Further Procedure

i. Opportunity was provided to all the interested parties to file their comments on the scope of PUC and Product Control Number ("PCN") methodology within 15 days of receiving intimation of the initiation of the investigation. The Authority granted additional time up to 10.07.2025 for filing the comments on PUC/PCN considering the extension request received from the interested parties. Comments were filed by the interested parties regarding the scope of the PUC and PCN methodology. After examining the comments/ submissions made by the interested parties, the Authority revised the scope of PUC. Thereafter, the final scope of PUC and PCN methodology was notified vide notification dated 25.07.2025 and thereafter other interested parties were provided 30 days' timeline for filing the questionnaire response. On receiving an extension request from the interested parties, timeline for filing of questionnaire response was extended till 31.08.2025.

ii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the DGTR website. All registered interested parties were directed to circulate the Non-confidential version of all their submissions in the present investigation with all other interested parties along with the Authority.

iii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the DG Systems, to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon DGCI&S data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

iv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 29th October 2025. Subsequently, due to a change in Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 6th January 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

v. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

vi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final findings.

vii. In accordance with Rule 7, Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

viii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

ix. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings.

x. An email was sent to administrative Ministry/Department informing about the application filed for anti-dumping investigation and seeking their opinion in the matter.

xi. The Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

xii. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = Rs.84.58.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C. 1. Submissions made by the other interested parties

4. The submissions made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article are as follows:

a) The other interested party submitted that, apart from Glass Wool in Roll Form, it had exported limited quantities of Glass Wool Boards. It was requested that Glass Wool Boards be explicitly excluded from the scope of the product under consideration in the present investigation, in line with the Authority's earlier final findings on similar products issued vide notification no 6/23//2019-DGTR dated 22.12.2020, to avoid any ambiguity regarding the scope of the investigation.

b) The other interested party submitted that Glass Wool with V-FSK Folded facing is not manufactured by the domestic industry and is materially distinct from other faced Glass Wool products in terms of technical characteristics, physical properties, and end-use performance. Accordingly, it was requested that Glass Wool with V-FSK Folded facing be excluded from the scope of the PUC. Alternatively, if not excluded, it was requested that the product be either grouped under the broader category of "FSK" facing for the purpose of margin calculations or treated as a separate PCN. It was further contended that the domestic industry had erroneously classified Faced Glass Wool with V-FSK Folded facing under the category of WMP-50/WMSG-50 facing in the petition, despite the exporter not exporting such products and the two variants being technically and commercially non-comparable.

C.2. Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:

a) The product under consideration for the purpose of present investigation is "Faced Glass Wool in Rolls" also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool. The domestic industry clarified that the scope of the present investigation is confined to the faced glass wool imported in rolls and the glass wool imported in tiles/board form are not included in the product scope of the present investigation.

b) Domestic industry is fully capable of producing goods with any type of facing, including "Vinyl Foil Scrim Kraft with Folded Flange" (V-FSK Folded), depending upon the specific customer requirements and order volumes. Also, facing applied on the PUC is merely an additional feature or finishing variation and does not alter the essential characteristics or technical parameters of the underlying product.

c) Additionally, product under consideration is available with a variety of facings such as aluminum foil, kraft paper, FSK, or V-FSK, each being applied as per end-use specifications and market preferences. The process of adding a facing does not involve any change in the fundamental production process, raw material composition, or core performance characteristics of the PUC. It merely involves application of a facing layer during the final stage of production, which can be adapted based on the type ordered. Hence, the presence or absence of any specific facing does not warrant exclusion of such variants from the scope of the investigation. Therefore, V-FSK Folded facing should not be excluded from the scope of the PUC. If required, a separate PCN for V-FSK-faced products may be created in accordance with the PCN methodology proposed by the domestic industry.

d) Domestic industry requested that the Authority may notify and adopt the PCNs proposed by the domestic industry for the purpose of ensuring a structured and fair comparison in the ongoing investigation.

e) Domestic industry argued that the submission of the interested parties alleging erroneous classification and inappropriate comparison between imported faced glass wool with V-FSK Folded facing and domestically produced faced glass wool with White Metallized Polypropylene-50 (WMP-50) facing is based on an incorrect understanding of the product comparison framework and the Product Control Number (PCN) methodology adopted in the investigation.

f) The comparison presented in the application was only meant for prima facie evaluation at the stage of initiation. The domestic industry compared the PUC with the most closely associated product type available domestically to establish evidence of dumping and injury sufficient for initiation. The final determination will essentially be based on detailed verification of data, including cost, price, and technical characteristics corresponding to the actual PCNs exported by the exporters.

C. 3. Examination by the Authority

6. In the Initiation Notification dated 16th Jun, 2025, the Authority considered the PUC and PCN methodology as follows:

"The Product under Consideration in the present investigation is "Faced Glass Wool in rolls" also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool. The Product under Consideration is imported into India in many forms e.g., rolls, slabs, sheets etc. The present petition seeks to cover the Product under Consideration when they are imported into India in rolls.

Glass wool consists of fine glass fibers combined with binder to make blankets and slabs/boards. The process involves passing glass through a fiberizing machine and drawing fibers in a controlled manner from spinners by centrifugal action of rotating spinners, binder is sprayed simultaneously and then passed through curing oven to form rolls, blanket etc.

Glass wool uses common glass-making raw materials, typically consisting of Silica sand, soda ash (sodium carbonate), Feldspar, dolomite, limestone and Borax Penta hydrate. Other materials used are recycled glass cullet and bought out sheet glass cullet. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together into an electrical furnace/ gas furnace where it is heated to approximately 1500°C. The stream is tapped from furnace and is fed into a conditioner called forehearth where the glass is brought to a temperature where it can be fiberized.

The product finds major uses in construction of metal and concrete building, heating, ventilation and air conditioning system to provide cooling services to buildings, acoustic application, shipbuilding, transport industry including railways and automobiles. The product has inherent strength of superior thermal and acoustic performance in addition to non-combustible and fire safe properties. Buildings achieve high energy efficiency by using this product and applications of this product have been increasing for different purposes.

The subject products are classified under Chapter Heading 70 "Glass and glassware". The subject goods are being imported under various sub-headings like 70198000, 70199000, 70199010, 70199090, 70191900, 70193900, 70195900 etc. of the Customs Tariff Act, 1975. In any case, the customs classification is for indicative purposes only and the description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.

The applicant has proposed adoption of Product Control Numbers (PCN) for the purpose of fair comparison between different types/forms of the product. The Applicant has proposed the PCN system on the basis of thickness, density and the type of facing. The PCN methodology suggested by the applicant is provided below.

In the proposed PCN, first two digits represent the density of the product (in Kg/metre cube), next three digits represent the thickness of the product (in millimeters), next two digits represent the type of first facing and the last two digits represent the type of second facing as per the codes given below. If there is no second facing, the interested party may use "00"."

The coding for the different facings is proposed as follows:

Type of Facing	***Corresponding number in PCN***
ALG	*01*
BGC	*02*
BGT	*03*
DSFSK	*04*
FGT	*05*
FSK	*06*
MPF	*07*
R303 HD	*08*
WMP-50	*09*
WMP-VR	*10*
WMP-VR R Plus	*11*
Any other	*12*
None (only in case of second facing)	*00*

For instance, the PCN for Glass Wool of density as 12 Kg/m3, thickness of 100 mm and first facing of FSK with no second facing will be 12-100-06-00.

7. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the product under consideration and PCN methodology. In the initiation notification, the Authority invited all the interested parties to file the comments within 15 days of receiving intimation of the initiation of the investigation. Upon request of certain interested parties, the Authority decided to extend the timeline to file comments on the scope of the PUC and PCN methodology till 10th July 2025.

8. The Authority examined all the comments made by the domestic industry and the interested parties concerning the scope of the product under consideration and PCN methodology in the present investigation.

9. In view of the above, the Authority notified the revised scope of product under consideration scope and PCN methodology on 25th July 2025. Based on the analysis of the responses, the PUC was revised as under:

> *"Faced Glass Wool in Rolls" also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool and excludes "Faced Glasswool in flat / tabular form" such as tiles, sheets or boards and Glass Wool Acoustical Ceiling Tiles.*

10. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

> *"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

11. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are different manufacturing process involved for production of the subject goods, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

12. With regard to V-FSK Folded, the Authority notes that the Domestic Industry has the capability to manufacture products with any type of facing, including Vinyl Foil Scrim Kraft with Folded Flange (V-FSK Folded), depending on customer requirements and order volumes. The Authority further notes that adding a facing layer does not alter the basic manufacturing process, raw material composition, or the core technical performance characteristics of the product under consideration (PUC). It is only a finishing step carried out at

the final stage of production and can be modified according to the type of facing requested by the customer. Authority notes that in the PCN methodology proposed by the domestic industry, there is already scope for any other type of facing under the PCN "Any other (corresponding PCN number is 12)". Therefore, a separate PCN for V-FSK Folded facing is not required.

13. Accordingly, the PCN methodology adopted in the investigation is as follows:

Type of Facing	**Corresponding number in PCN**
ALG	01
BGC	02
BGT	03
DSFSK	04
FGT	05
FSK	06
MPF	07
R303 HD	08
WMP-50	09
WMP-VR	10
WMP-VR R Plus	11
Any other	12
None (only in case of second facing)	00

For instance, the PCN for Glass Wool of density as 12 Kg/m3, thickness of 100 mm and first facing of FSK with no second facing will be 12-100-06-00.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

14. The submissions made by the other interested parties with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

a) The other interested parties have stated that they do no dispute the contention of the applicant with regard to standing of domestic industry.

D.2 Submissions made by the Domestic Industry

15. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

a) The application has been filed by M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited for imposition of anti-dumping duty on the subject goods from the subject country. The Applicant claimed that it is the only producer of the subject goods in India and therefore has clear standing to constitute domestic industry within the ambit of the Rules.

b) Applicant has not imported the subject goods from the subject country during the POI. Applicant is also not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus, the applicant is eligible for becoming domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.

D.3 Examination by the Authority

16. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"*(b)"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*"

17. The application in the present case has been filed by M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited, the only producer of the subject goods in the domestic market. The production of the applicant constitutes 100% of the total Indian production.

18. The Applicant has also certified that it is neither related to exporters or importers nor it has imported the subject goods from subject country. Accordingly, the Authority concludes that that the Applicant satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

E. CONFIDENTIALITY

E. 1 Submissions made by the other interested parties

19. The submissions made by the other interested with regard to confidentiality are as follows:

i. The applicant has merely advanced a blanket assertion that the exporters have not filed their questionnaire responses in accordance with Trade Notice No. 10/2018, without identifying any specific details or parameters that are allegedly missing or non-conforming to the said Trade Notice.

ii. That the other interested party has fully complied with the applicable confidentiality requirements, and any information earlier claimed as confidential has been appropriately disclosed when pointed and therefore, its submissions should be considered as being fully compliant with the applicable Trade Notices and the AD Rules.

E. 2 Submissions made by the Domestic Industry

20. The submissions made by other domestic industry with regard to confidentiality are as follows:

i. The exporters in the present case have not filed their questionnaire response in terms of Trade Notice No. 10/2018. Most of the information required in the Trade Notice is either not given by the exporters or is not as per the Trade Notice.

ii. That the non-confidential version of the questionnaire response filed by the opposing interested parties does not contain all the information contained in the confidential version without assigning proper reasons. It was obligatory for the exporter to give proper statement of reasons as to why confidentiality was claimed and why summarization was not possible for certain information.

iii. The exporters have not only failed to provide the meaningful response but they have also failed to give any reasons for claiming such excessive confidentiality. The appendices enclosed with the responses contain no meaningful non confidential response.

E. 3 Examination by the Authority

21. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under:

22. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the AD Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

23. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. With regard to the submissions that the other interested parties have failed to disclose certain information in their responses, the Authority notes that the interested parties have justified the confidentiality claimed by them. Further, no prejudice has been caused to the interest of the domestic industry due to non-disclosure of such information.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F. 1 Submissions made by the other interested parties

24. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin:

i. The exporter (M/s GlassRock) submitted that in terms of explanation (c) to section 9A (1) of the Act, normal value is the comparable price in the ordinary course of trade for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory. As the exporter has filed the exporter questionnaire response, dumping and injury margins for the exporter should be determined based on the said questionnaire response.

ii. M/s GlassRock, operates under the "*private free zone*" regime. This investment regime is established under Law No. 8 of 1997 on Investment Guarantees and Incentives, as amended by Law No. 17 of 2015, and subsequently repealed and replaced by Law No. 72 of 2017 ("Investment Law"). The entities operating under this regime are treated as distinct from those operating within the regular domestic customs territory of Egypt.

iii. Therefore, for transactions involving PUC sold for consumption in the Egyptian domestic market, the process followed by M/s GlassRock is as follows:

(a) the domestic customer first places a purchase order to Al-Aqsa.
(b) Acting as the importer of record, Al-Aqsa then issues the commercial invoice to the customer in accordance with applicable Egyptian Free Zone and customs regulations.
(c) Subsequently, M/s GlassRock manufactures, inspects, and delivers the goods to the customer and provides the necessary technical, logistical, and after-sales support.

iv. This structure is followed by M/s GlassRock to comply with the statutory requirement necessitated by the Egyptian legal framework regulating importation from free zone entities. The role of Al-Aqsa is limited to performing the invoicing function, as required by the cited laws, whereas all substantive commercial, technical and operational functions are carried out directly by M/s GlassRock. Further, M/s GlassRock pays a commission of ***% to Al-Aqsa for issuing the domestic sales invoices to the customers.

v. Invoicing through Al-Aqsa in respect of domestic sales channel does not indicate any involvement of distributor or trader, but is solely a compliance mechanism mandated by Egyptian law for free zone entities to access the domestic market. The underlying sale is effectively between M/s GlassRock and the end user, with Al-Aqsa serving as the legal importer of record to satisfy the legal requirements. Further, Al-Aqsa is not affiliated party of M/s GlassRock and therefore, its participation in the present investigation is not irrelevant. Also, M/s GlassRock has provided the selling price to the final customer.

vi. There is a difference in the commercial levels at which sales of PUC are made by M/s GlassRock in the domestic market of the Egypt and the sales made by M/s GlassRock for exports to India. This difference affects the comparison of normal value and export prices. Domestic sales are made by M/s GlassRock directly to end users while exports to India are made to unaffiliated importers or distributors.

vii. The concept of Level of Trade ("LOT") adjustment is a legally recognized aspect framed to ensure a fair comparison between the normal value and the export price, as required under Article 2.4 of the WTO Anti-Dumping Agreement ("ADA") and Paragraph 6(i) of Annexure I of the AD Rules.

viii. Article 2.4 of the ADA provides that:

> *"A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level... Due allowance shall be made, in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."*

ix. Further, Paragraph 6 (i) of Annexure I of AD Rules states as follows:

> *"6. (i) While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison* between *the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability"*

x. There exists a clear and substantive difference between the domestic sales channel in Egypt and the export sales channel for shipments to India.

xi. M/s GlassRock operates under the Private Free Zone regime and, pursuant to the above- mentioned law, the customers cannot purchase the PUC from M/s GlassRock unless they are registered under the import register and have a valid import license.

xii. M/s GlassRock has exported the PUC to two unaffiliated importers in India during the period of investigation. In particular, M/s GlassRock has entered into a Distribution Agreement with GAPL (importer) for the sale and distribution of the PUC in India. In addition, certain quantities have also been exported to BM Insulations Private Limited (importer), which sold the PUC to customers and end users in India. Under the terms of the Distribution Agreement, GAPL assumes full responsibility for market development and downstream sales operations in India.

xiii. Accordingly, all marketing, sales, and distribution functions in India including market development, customer outreach, sales negotiation, and coordination of deliveries are independently undertaken by GAPL and BM Insulations, without any direct involvement of M/s GlassRock.

xiv. In contrast, in the domestic market of Egypt, M/s GlassRock performs all core selling and marketing functions on its own, including identifying customers, negotiating and concluding sales, managing invoicing and logistics, and providing after-sales support. Domestic transactions thus occur at a stage where M/s

GlassRock itself bears the full commercial and operational responsibility for reaching end users and project customers.

xv. This demonstrates a clear difference in the commercial level and functional intensity of M/s GlassRock's domestic and export transactions. While domestic prices necessarily incorporate the costs and margins associated with marketing, distribution, and customer service, export prices to India are established at a wholesale or distributor level, where these functions and related costs are absorbed by unaffiliated importers. Such divergence in selling levels directly affects price comparability, thereby warranting a due allowance for the difference in level of trade in accordance with Article 2.4 of the ADA, Rule 6(i) of Annexure I of the AD Rules and paragraph 13.15.11 of the DGTR Manual.

xvi. Accordingly, M/s GlassRock has claimed a level of trade adjustment from its domestic sales to the extent of gross margins earned by unrelated importers that is approximately ***%. M/s GlassRock further requested that the Authority may allow the level of trade adjustment and ensure that a fair comparison is made between the normal value and export price in the calculation of M/s GlassRock's dumping margins.

F. 2 Submissions made by the Domestic Industry

25. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin:

i. Applicant had constructed the normal value for Egypt on the basis of the cost of production of domestic industry, selling, general and administrative expenses based on experience of domestic industry and reasonable profit margin in the application. The Authority may compute the normal value for the producers from Egypt on the basis of records kept by them.

ii. As regards the export price, the applicant provided the prima facie details of the exports price on the basis of the import data available with the applicant. However, for the purpose of the final findings, the Authority may rely upon the individual export prices of the exporter provided that the exporters have responded to the questionnaire truthfully, accurately and completely.

iii. The exporter's submissions concerning the structure of domestic market transactions in Egypt and the corresponding justification for Level of Trade (LOT) adjustment are fundamentally flawed, inconsistent, and contrary to both the factual position emerging from their own responses and the governing legal framework in Egypt.

iv. The submissions made by exporter are liable to be rejected because in their questionnaire response, the exporter stated that they requested a Level of Trade (LOT) adjustment on the ground that their export sales to unrelated importers for exports to India are at a different trade level than sales to end users in the domestic market by M/s GlassRock. This explicit claim of direct sales by the exporter to end consumers in Egypt formed the basis of their LOT request. However, in their written submissions, the exporter has taken an entirely contradictory position, asserting that they are prohibited from making direct domestic sales by virtue of their presence in a private free zone and that all domestic sales are routed through Al Aqsa, who performs the billing function. This new claim directly contradicts their earlier statement of direct sales to end users. The exporter has misrepresented material facts before the Authority with the intent to procure a favorable LOT adjustment.

v. Al Aqsa is involved as an intermediary trader between the exporter and the end customers in Egypt for domestic sales. It shows that the domestic sales of exporter are at a level comparable to sales made to traders or distributors in India.

vi. Al Aqsa is not only issuing invoices without performing real trading activity. As submitted by the exporter itself that any activity outside the private free zone involving the sale, import, or trading of goods must be undertaken by a licensed entity registered as an importer under Egyptian law. Therefore, Al Aqsa cannot be a mere invoicing entity, rather it is involved in the commercial and legal act of importing, and commercially reselling goods within Egypt.

vii. The legal framework cited by the exporter requires registration for import activity only for entities engaged in "trading" and not for merely invoicing. This confirms that Al Aqsa engages in substantive trading operations, thereby assuming the role of a domestic importer-trader.

viii. The principle underlying LOT adjustment is that differences in trade levels affecting price comparability may be adjusted if demonstrated through verifiable evidence. In the present case, the exporter's contradictory claims, concealment of the actual sales structure, and reliance on an undisclosed intermediary preclude any meaningful establishment of the LOT difference. Therefore, it is evident that the exporter's domestic sales, if any, are not at the level of "sales to end users" but at a level of "sales to a trader/distributor". Hence, no adjustment on account of trade level can be considered.

F. 3 Examination by the Authority

26. As per Section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
(a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
(b)Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

27. The Authority notes that M/s GlassRock has claimed a level of trade adjustment in respect of its domestic sales equivalent to the gross margins earned by unrelated importers in India, amounting to approximately ***%. M/s GlassRock submitted that it operates under the "private free zone" regime, under which entities are treated separately from entities operating within the regular domestic customs territory of Egypt. For transactions involving PUC destined for consumption in the Egyptian domestic market, the following process is followed by M/s GlassRock:

- *The domestic customer issues a purchase order to Al-Aqsa;*
- *Al-Aqsa, acting as importer of record, issues the commercial invoice to the domestic customer in accordance with Egyptian Free Zone and customs regulations;*
- M/s *GlassRock manufactures, inspects, and delivers the goods to the customer, while also providing all technical, logistical, and after-sales support*

28. M/s GlassRock has claimed that the role of Al-Aqsa is limited to carrying out invoicing functions, while all substantive commercial, technical, and operational activities are undertaken directly by M/s GlassRock. M/s GlassRock further submitted that it pays a commission of ***% to Al-Aqsa for issuing invoices in relation to domestic sales. It has also been contended that invoicing through Al-Aqsa does not reflect the involvement of a distributor or trader, but serves as a compliance mechanism mandated under Egyptian law for entities operating under the free zone regime to access the domestic market. Accordingly, the underlying transaction is effectively between M/s GlassRock and the end user, with Al-Aqsa acting solely as the importer of record to fulfil legal requirements.

29. Authority notes that as per the provisions of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, allowance shall be made for differences which affect price comparability. Therefore, the exporter was required to demonstrate that consistently there was difference in price depending on whether the buyer was an end user or a trader and the same affected price comparability. The exporters have not established the same and provided no evidence on this account.

30. The Authority has carefully examined the exporter's claim for LOT adjustment in light of the submissions of all interested parties and the evidence on record. It is well settled that the burden of establishing entitlement to a LOT adjustment rests squarely upon the exporter, who must demonstrate through clear and verifiable

evidence that a genuine difference in trade levels exists between domestic and export transactions, that such difference materially affects price comparability.

31. The Authority notes that the exporter has failed to substantiate its LOT adjustment claim on merits. No verifiable documentary evidence has been placed on record to demonstrate the specific selling functions allegedly performed at the domestic level, the costs associated therewith, or the manner in which such functions meaningfully differ from those performed in export transactions. Mere assertions unsupported by contemporaneous evidence cannot constitute a valid basis for a LOT adjustment.

F. 3.1 Determination of Normal value and Export Price

Normal value for Egypt

Normal value for M/s GlassRock Insulation Company S.A.E, Exporter

32. M/s GlassRock Insulation Company S.A.E ("GlassRock" or "exporter") has exported PUC to India during the POI. GlassRock also sold product under consideration in the domestic market of Egypt during the POI. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for M/s GlassRock based on its domestic sales of the product under consideration during the POI.

33. M/s GlassRock has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation and it has exported [***] MT of the subject goods to India during the same period. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

34. The Authority sought supporting and verification documents from the sole participating exporter M/s GlassRock on multiple occasions with respect to Appendices 1, 3A, 4A, 6 and 7 for verification of the claims made in the exporter questionnaire response and granted several extensions upon requests made by the exporter citing practical difficulties and non-integration of its ERP system. Although the exporter submitted certain documents from time to time, the Authority observed persistent and material deficiencies in the information furnished. The exporter failed to provide complete verification documents, ERP/SAP screenshots, accounting records, sales registers, production records, raw material consumption details, cost data, inventory valuation workings, and supporting evidence for adjustments claimed in domestic sales and exports to India, including freight, insurance, inland transportation and other expenses.

35. The Authority further noted that several submissions were self-certified, incomplete, not properly linked with trial balance or financial statements, and, in certain cases, submitted beyond the prescribed timelines. Despite repeated deficiency letters, reminders, extensions, and final opportunities granted by the Authority, including the opportunity provided on 19th May 2026 to explain why its response should not be rejected, the exporter failed to furnish complete and verifiable information necessary for the investigation. The Authority, therefore, concludes that the exporter failed to provide the requisite information within a reasonable period, significantly impeded the investigation, and did not cooperate to the best of its ability. Accordingly, in terms of Rule 6(8) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, read with Annexure II thereto, the Authority has relied upon facts available for the purpose of determination and concludes not to grant an individual dumping margin to M/s GlassRock.

Normal value for Any other producer/exporters

36. The normal value for all other exporters and non-cooperative exporters have been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8).

Export Price for Egypt

Export Price of GlassRock Insulation Company S.A.E, Exporter

37. GlassRock has exported [***] MT of the subject goods to India, through below channel:

GlassRock → Importer/Distributor → unrelated customers in India

38. The Authority notes that the exporter has failed to submit any supporting evidence/documents for substantiating the claimed adjustments reported in Appendix–3A with respect to sales to India even after given sufficient opportunity to substantiate its claim. GlassRock has failed to co-operate with the Authority. Therefore, Authority concludes that no individual dumping margin shall be granted to GlassRock.

Export Price for Any other producer/exporters

39. The export price for non-cooperative exporters and all other exporters has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8).

F.3.2 Dumping Margin

40. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

S. No.	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
Egypt						
2.	All producers/exporters from Egypt PR	***	***	***	***	65-75

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G. 1 Submissions made by the other interested parties

41. The other interested parties have made the following submissions with respect to the injury and causal link:

i. That mere existence of dumping is not sufficient for imposition of anti-dumping duties, and that the Authority must establish the existence of material injury and a causal link between the subject imports and such injury in terms of Rule 11 and Annexure II of the AD Rules. In this case, no injury has been caused to the domestic industry by imports from Egypt.

ii. That the domestic industry's injury analysis is fundamentally flawed due to serious factual inaccuracies in both import volumes and landed price data for imports from Egypt. Figures relied upon by the domestic industry are inconsistent with the verified data furnished by the exporter, who is the sole exporter from Egypt, and therefore represent incomplete and unreliable estimates. The exporter further argued that the reported landed prices exhibit implausible fluctuations and are not supported by actual transaction data. Accordingly, any injury or price effect analysis based on such erroneous data would be distorted and inflated, and the Authority should instead rely on the verified exporter data for an accurate and objective determination.

iii. That the domestic industry earned unusually high profits in 2022–23, which may not reflect normal conditions. Therefore, the Authority may examine the reasons for this and assess the data accordingly for a fair analysis.

iv. That there are inconsistencies between the two petitions filed by the domestic industry for the same product. The two proceedings in reference are Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on Imports of Faced Glass Wool originating in or exported from China PR and Anti-Dumping Investigation concerning Imports of Faced Glass Wool in Rolls originating in or exported from Egypt. While in Sunset review, the domestic industry claimed improved performance due to anti-dumping duties, but in the present case, it claims to be suffering injury during the same period of investigation. These contradictory positions make the data unreliable, and the Authority may seek clarification and ensure consistency before relying on such information for determining injury.

v. That imports from Egypt remained very low for most of the injury period and were too small to have any significant impact on the domestic industry. The decline in domestic sales and production does not match the trend of imports from Egypt and is more likely linked to higher imports from other countries, such as China. It is submitted that that the reported increase in imports from Egypt during the POI is not supported by reliable data. Imports from Egypt have not affected the domestic industry's sales or market share and therefore cannot be considered a cause of injury.

vi. That there is no evidence of price suppression or depression caused by imports from Egypt, as the domestic industry's selling prices have generally remained above or in line with its costs over the period. Any minor changes in margins were attributed to normal business factors such as increase in interest costs, depreciation, internal pricing decisions, and inventory management, rather than import pressure. Lower CIF price of imports does not indicate dumping, since duties and other charges increase the landed price. It is further submitted that key economic indicators do not show any adverse impact from imports from Egypt. The market share of Egyptian imports remained very low during most of the period and was insufficient to affect the domestic industry's position. Any changes in performance, including sales or profitability, were attributed to other factors such as competition from other countries or internal business adjustments. Accordingly, there is no price effect or overall injury caused by imports from Egypt.

vii. That there is no causal link between imports from Egypt and any alleged injury to the domestic industry. The exporter argued that any changes in the domestic industry's performance are attributable to other factors such as increased imports from other countries, internal business decisions, and cost-related factors, rather than imports from Egypt. It was further submitted that in the absence of any clear link between the imports and the alleged injury, the requirements under the AD Rules are not satisfied. Accordingly, the claim of injury caused by imports from Egypt is not substantiated and should be rejected.

viii. Decline in domestic sales of Glasswool products may also stem from internal substitution within the applicant's own product portfolio. The applicant manufactures both Glasswool and Rockwool, which are functionally substitutable in several applications, particularly in thermal insulation for roofing and HVAC systems. It is, therefore, plausible that the applicant's reduction in Glasswool sales was offset by an increase in sales of Rockwool, thereby neutralizing any alleged loss of overall business.

ix. In this regard, a comprehensive examination of the sales and profitability trends of the applicant's Rockwool division should be undertaken, in order to determine whether the alleged decline in Glasswool sales is a result of internal product substitution rather than competitive imports. Such verification is necessary to prevent the misattribution of self-inflicted market adjustments to imports from Egypt.

x. The domestic industry's selling price consistently remains at or above cost, indicating no evidence of price suppression. There is no evidence of price suppression, depression or undercutting attributable to imports from Egypt.

xi. Domestic industry data reveals that the sharp fall in PBT, PBIT, and ROI during the Period of Investigation is primarily the outcome of internal financial and accounting factors specifically, a steep rise in interest costs and depreciation charges.

G. 2 Submissions made by the domestic industry

42. The domestic industry made following submissions with respect to injury and causal link:

i. Imports of the product under consideration from the subject country have shown increase over the injury period. Imports have also shown increase in relation to production and consumption in India.

ii. Market share of the subject country in demand has been continuously increasing while there is a decline in the market share of the domestic industry.

iii. With respect to the submission of the other interested party regarding relying on inaccurate data for import volumes and landed price in the application, domestic industry submitted that the Authority will in any case rely on verified information submitted by the exporter for the purpose of calculating dumping margin and injury margin along with import data from government agency for its determination and therefore contention raised by exporter is misplaced.

iv. It is also evident from the data that the domestic industry has experienced a decline in sales realization and profitability.

v. It is further submitted that when all economic indicators mentioned in Annexure II, such as sales, production, capacity utilisation, profitability and ROCE are examined holistically and shows injury, the claims of the domestic industry stand fully supported by the data on record. Further overall imports have remained significant and exert price suppressing effects, preventing the domestic industry from recovering increased costs.

vi. Economic parameters reveal significantly declining profits, constrained ability to raise selling prices due to price undercutting, and growing inventories, all of which substantiate material injury caused by dumped imports.

vii. The submission that the domestic industry has suffered injury due to competition from rock wool or other competing product is factually incorrect and misleading. While there exists a limited degree of interchangeability between the product under consideration (PUC) and rock wool, the two products are not fully substitutable in terms of performance characteristics, end-use applications, or consumer preferences.

viii. The distinction between the PUC and rock wool is also evident from the consistent import trends during the injury investigation period. Despite the alleged competition, imports of the subject goods have shown a significant increase, both in absolute terms and relative to production and consumption in India, while the sales of the domestic industry have simultaneously witnessed a decline. Such a trend clearly indicates that it is the dumped imports from the subject country that have adversely affected the performance of the Domestic Industry, and not competition from rock wool.

ix. Furthermore, the overall demand for the subject goods has shown steady growth throughout the injury investigation period, ruling out any possibility that decline in the domestic industry's performance could be attributed to contraction in demand or substitution by rock wool. The evidence on record therefore demonstrates that the injury suffered by the domestic industry is directly linked to the increased volume and low-priced imports of the PUC from the subject country, rather than competition from other materials.

x. The interested parties have stated that there is no causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry is self-inflicted. In this regard, domestic industry submitted that the injury to the domestic industry is because of dumped imports. None of the interested party has provided any evidence on record as to how the domestic industry has suffered injury due to factors other than dumping from the subject countries. Only bare unsubstantiated statements have been made.

G. 3 Examination by the Authority

43. Rule 11 of the AD Rules read with Annexure II to the AD Rules provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry,

"... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...".

44. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

45. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether injury to the domestic industry exists.

46. The Authority has relied upon import data from DGCI&S for injury analysis.

47. As regards the submission that rock wool is substituting the market of product under consideration, it is noted that Glass wool and rock wool are different products and need different raw materials. It is further noted that

barring few applications substitutability is limited. It is noted that interested parties have failed to substantiate that injury to domestic industry is attributed to rockwool/stonewool.

48. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by all the interested parties.

G. 3.1 Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry

i. Assessment of Demand

49. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Demand has been determined as the sum of domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries.

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from Egypt	MT	57	83	40	342
Imports from other countries	MT	716	1,879	1,962	1,532
Total Imports	MT	773	1,962	2,002	1,874
Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	90	90
Total Demand/ Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	108	107

** Imports as per DGCI&S data, domestic industry sales as per domestic industry data*

50. It is noted from the above table that the demand of the subject goods has increased in year 2022-23 and remains higher in 2023-24 and in POI than the base year. It is further noted that the imports from the subject country have increased significantly in POI, as compared to any of the previous years. Sales of the domestic industry has shown increase in year 2022-23 but declined in 2023-24 and then remained almost constant in the POI.

ii. Imports in absolute and relative terms

51. With regard to the volume of dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	57	83	40	342
Other imports	MT	716	1,879	1,962	1,532
Total imports	MT	773	1,962	2,002	1,874
Subject Imports in relation to					
Domestic production	%	***%	***%	***%	***%
Domestic production	Range	0-10%	0-10	0-10	0-10
Demand / Consumption	%	***%	***%	***%	***%
Demand / Consumption	Range	0-10%	0-10	0-10	0-10
Total Imports	%	***%	***%	***%	***%
Total Imports	Range	0-10%	0-10%	0-10%	10-20%

** Imports as per DGCI&S data, domestic production as per domestic industry data*

52. The Authority notes that:

i. Imports from the subject country has increased significantly in the POI as compared to the base year.

ii. The imports from subject country relative to production of the domestic industry increased from ***% in the base year to ***% in the POI.

iii. The imports from subject country relative to demand increased from ***% in the base year to ***% in the POI.

G. 3.2 Price effect of the dumped imports

53. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price Undercutting

54. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry as shown below:

Particulars	UoM	POI
Net sales realization	Rs / MT	***
Landed price	Rs / MT	89,021
Price Undercutting	Rs / MT	***
Price Undercutting	%	***%
Price Undercutting	Range	80-90

** Landed price as per DGCI&S data, net sales realisation as per domestic industry data*

55. The Authority notes that the subject imports are priced below the net sales realisation of the domestic industry. The price undercutting from the subject country is not only positive but also significant.

b. Price Suppression and Depression

56. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs of sales and net sales realisation of the domestic industry over the injury period.

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Landed Value	₹/MT	84,510	1,19,789	1,04,110	89,021
Trend	Indexed	100	142	123	105
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	118	118
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	104	121

** Landed price as per DGCI&S data, net sales realization and cost of sales as per domestic industry data*

57. Authority notes that the landed value of imports from the subject country is consistently below the cost of sales of the domestic industry.

58. It is also noted that though the net sales realisation and cost of sales increased during the injury period, the net sales realization did not increase in the same proportion to rise in the cost of sales. Thus, the domestic industry was not able to increase their selling price despite increase in cost of sales. It is also noted that the landed value remains lower than net sales realisation of the domestic industry throughout the injury period.

G. 3.3 Economic Parameters of the Domestic Industry

59. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods.

With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

c. Production, capacity, capacity utilization and sales

60. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	92	91
Capacity utilization	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	117	106	98
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	90	90
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	155	168	175
Captive Consumption	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Trend	Indexed	Nil	Nil	Nil	Nil

** Figures as per domestic industry data*

61. It is noted that both production and domestic sales have declined over the injury period. It is also noted that there is a marginal reduction in the capacity utilisation over the injury period.

d. Market share in demand

62. The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry is as below:

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic Industry	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	87	83	84
Subject Country	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	117	66	564
Other Countries	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	212	253	200

63. Authority notes that the market share of the subject country increased over the injury period.

64. Market share of the domestic industry has decreased over the injury period with marginal increase in the POI. It remains lower in the POI in comparison to the base year.

65. Market share of other countries has increased significantly in the POI as compared to the base year.

e. Inventories

66. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table.

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	259	340

** Inventory as per domestic industry data*

67. From the above, the authority notes that the inventories of the domestic industry have increased significantly in POI compared to base year.

f. Employment, productivity and wages

68. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of employees	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	120	116
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	94	94
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	86	84
Salaries & Wages	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	75	99

** Figures as per domestic industry data*

69. It is noted that the number of the employees has increased over the injury period and declined slightly in POI than 2023-24. The wages paid to them declined in 2023-24 thereafter increased in POI.

g. Profits, cash profits and return on capital employed

70. Analysis of the performance of the domestic industry with regard to actual profit/loss, is given in the table below:

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	104	121
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	118	118
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	644	613	19
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	694	550	17
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	426	355	63
Return on capital employed	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	576	872	48

** Figures as per domestic industry data*

71. The authority notes that the profitability of the domestic industry improved significantly in 2022-23 and remained at these high levels in 2023-24. However, Profitability of the domestic industry declined significantly in the POI.

72. It is noted that cost of sales has increased over the injury period and was highest in POI.

73. The Authority notes that ROCE of the domestic industry was quite low in POI.

h. Growth

74. The Authority notes that there was negative growth of the domestic industry in terms of profitability as well as ROCE.

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	%	0%	0%	0%
Production	%	8%	-15%	-1%
Domestic sales	%	8%	-17%	0.5%
Profit / (loss) per unit	%	544%	-5%	-97%
Cash profits	%	326%	-17%	-82%
Return on capital employed	%	476%	51%	-95%

i. Ability to raise Capital Investment:

75. The Authority notes that the domestic industry has earned profits after the measures were imposed in the original investigation against China PR vide final findings in 2020. The domestic industry has claimed that presence of significantly low-priced imports in the market has impacted its ability to raise investments for any additional capacity expansions. It has been submitted that if the present scenario continues, its investment is likely to be highly unutilized and no new investment will come.

j. Magnitude of dumping:

76. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis shows that the dumping margin is significantly high for the subject country.

k. Factors affecting domestic prices:

77. It is noted that the landed price of the subject imports is lower than the selling price of the subject goods during the injury period. The domestic industry is the only domestic producer of the product in the market. Dumped imports are adversely affecting prices of the domestic industry in the market. Further, the imports are priced below even the cost of sales and NIP of the domestic industry. This has forced the domestic industry to not to increase its prices despite increase in cost of sales.

78. The Authority has further noted that there is a growing demand of subject goods in India. The import price from the subject country is directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. It is also noted that the landed value of subject goods from the subject country is below non-injurious price of the domestic industry. Further, landed price from subject country has suppressed / depressed effect on the prices of the domestic industry causing financial losses to them. Thus, the subject imports from Egypt have affected the prices of the domestic industry.

G. 3.3 Analysis on injury

79. Based on the above, the Authority concludes that:

i. The volume of subject imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
ii. The subject imports have undercut the prices of the domestic industry.
iii. Landed value of imports from the subject country is consistently below the cost of sales of the domestic industry.
iv. Net sales realisation and cost of sales increased during the injury period; the net sales realization did not increase in the same proportion to rise in the cost of sales. Domestic industry was not able to increase their selling price despite increase in cost of sales.
v. Landed value remains lower than net sales realisation of the domestic industry throughout the injury period.
vi. Demand of the subject goods has increased in year 2022-23 and remains higher in 2023-24 and in POI than the base year. Imports from the subject country have increased significantly in POI, as compared to any of the previous years.
vii. Both production and domestic sales have declined over the injury period.
viii. The inventories of the domestic industry have increased and were the highest in the period of investigation.
ix. Profitability of the domestic industry improved significantly in 2022-23 and remained at these high levels in 2023-24. However, Profitability of the domestic industry declined significantly in the POI.
x. ROCE of the domestic industry was quite low in POI.
xi. The dumping margin for the subject country is positive and significant.

INJURY MARGIN

80. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

81. For non-cooperative producers/exporters and all other producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.

82. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury Margin Table

SN	Name of Producer	Non-Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
Egypt						
2.	All producers/exporters from Egypt	***	***	***	***	30-40

H. CAUSAL LINK

A.1 H.1 Non - attribution analysis and casual link

83. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a) Volume and prices of imports from third countries

84. Imports of the product under consideration from non-subject countries except China are negligible and could not have caused injury to the domestic industry. As regards imports from China PR, DGTR has recommended extension of existing duties for further period of 5 years. The Authority notes that the landed price of subject country during POI is lower than the landed price of the non-subject country, i.e., China PR.

b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

85. There has been no contraction of the demand of the product concerned. Therefore, decline in demand is not as a possible reason of injury to the domestic industry.

c) Pattern of consumption

86. Information on record does not indicate change in consumer preferences as the customers have continued to procure from the domestic industry as well as import the product under consideration.

d) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

87. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

e) Developments in technology:

88. Technology for production of the product concerned has not undergone any significant change. Thus, development in technology is also not a factor causing injury to the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry is like article to the goods produced and exported by the producers/exporters in India.

f) Productivity of the Domestic Industry

89. It is noted that the productivity of the domestic industry has remained almost same in the POI as compared to the preceding year.

g) Export performance of the domestic industry

90. It is noted that the Authority has only considered the domestic performance of the domestic industry. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis in any manner whatsoever.

91. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

I.1 Submissions made on behalf of the other interested parties.

92. The other interested parties have made following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Indian market for Glass Wool is dominated by a single domestic producer, U.P. Twiga Fiberglass Limited, which holds an undisputed and near monopolistic position. Imports from Egypt play a vital role in

preserving minimal competitive balance in the market. During 2024, total imports from Egypt amounted to approximately 392 MT, representing merely 3.27% of the domestic producer's annual sales. Such a marginal share is economically insignificant and manifestly incapable of inflicting any material injury upon a producer holding a dominant market position. Rather than inflicting injury, such limited imports serve to moderate excessive pricing and promote fair market behavior. If anti-dumping duties were to be imposed, the domestic producer would enjoy unfettered pricing power, eroding competition and ultimately harming consumer and public interest.

ii. The presence of competitively priced imports from Egypt through small and legitimate MSME importers such as GAPL, ensures a degree of pricing discipline in the market and provides downstream industries particularly the construction, HVAC, and industrial insulation sectors access to affordable inputs.

iii. Glass Wool insulation is a critical material contributing directly to energy conservation and efficiency. Wider adoption of such insulation products enables India to progress towards its national commitments on energy efficiency and climate responsibility under global frameworks. The imposition of anti-dumping duties on imports of Glass Wool from Egypt would have the unintended consequence of increasing costs and thereby reducing consumption of an environmentally beneficial product.

iv. In contrast, imposing anti-dumping duties on low-volume, competitively priced imports would narrow supply sources, restrict consumer choice, and consolidate market power in a single entity. This outcome would neither serve the objective of the anti-dumping law which is to restore fair trade, not restrict it nor align with the public interest considerations.

v. The period of imposition of duty be limited to less than five years, considering the negligible volume of imports from Egypt and only in the POI and their inconsequential impact on the domestic market. It would not be in the public interest to recommend the antidumping duty for 5 years based on imports of one year.

I.2 Submissions made on behalf of the domestic industry

93. The domestic industry has made following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The domestic producers have the capacity to cater around 100 % of the Indian demand.

ii. The proposed duty would have less than 1% impact on the final product price, which is economically negligible and will not put extra burden on downstream users or consumers.

I.3 Examination by Authority

94. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field.

95. These duties do not harm fair competition in the Indian market. Instead, they stop companies from gaining unfair benefits by selling goods at dumped prices. Anti-dumping measures protect fair trade and ensure that consumers continue to have access to a wide range of these products.

96. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty will provide a level playing field to the Indian industry which will encourage the user industry to purchase from the Indian industry. This will reduce the dependence on imports and lead to conserving the outgoing foreign exchange.

97. The Authority further notes that none of the parties have submitted with substantive evidences regarding the impact of the proposed anti-dumping duty on the price of the downstream product.

98. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports but only ensures that the imports are made at fair prices. Further, anti-dumping duty is a remedial measure which is focused on redressing the injury to the domestic industry due to dumping of imports into India. Imposition of anti-dumping duty does not create a supply shortage in the country. Further, the Authority also notes that imports can be made from sources other than the subject country as well.

99. The Authority observes that arguments regarding adverse impact on public interest must be supported by credible evidence and quantified analysis. General assertions without supporting data cannot form the basis for determination of public interest.

100. The Authority notes that the determination of public interest requires balancing the interests of various stakeholders including domestic industry, users, and consumers. The Authority considers the impact on fair competition, availability of goods, and overall economic welfare.

101. The Authority has considered all submissions regarding public interest and notes that the fundamental purpose of anti-dumping duties is to eliminate injury caused to domestic industry by unfair trade practices so as to establish fair competition in the Indian market.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

J.1 Submissions made on behalf of the other interested parties

102. The other interested parties have made following post-disclosure submissions:

i. The disclosure Statement fails to satisfy the requirements of Rule 16 of the AD Rules and is violative of the principles of natural justice, particularly the principle of *audi alteram partem*, thereby rendering the present disclosure exercise fundamentally defective.

ii. Glass Wool with Vinyl FSK facing should be excluded from the product scope or compare the exported PUC with Vinyl FSK facing with the domestic industry's PUC with FSK facing for the purposes of margin calculations. With respect to Vinyl Foil Scrim Kraft with Folded Flange "V-FSK Folded", the Authority concluded that the domestic industry possess the capability to manufacture such products. But no finding has been provided regarding actual commercial production and merchant sales by the domestic industry. The Authority has contradicted the paragraph 3.10 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, which requires actual production and commercial sales rather than mere manufacturing capability.

iii. That the name of the exporter i.e., GlassRock Insulation Company S.A.E. should be separately mentioned in the dumping margin, injury margin and duty table instead of reflecting it in the residual category of "All Producers/Exporters from Egypt", as exporter is the sole producer and exporter of subject goods from Egypt and has actively cooperated throughout the investigation. The exporter actively participated in the proceedings, filed questionnaire responses, responded to deficiency letters, furnished information and supporting documents from time to time and made continuous efforts to cooperate with the Authority to the best of its ability.

iv. The exporter submitted that it does not maintain an integrated accounting, ERP, or SAP system, and instead records production, inventory, consumption, cost, and financial information through internally maintained records and Excel-based compilations prepared in the ordinary course of business. As a result, system-generated reports, ERP screenshots, and automated database extracts requested during the investigation are not available, which is a consequence of the company's record-keeping practices rather than any lack of cooperation or withholding of information.

v. The exporter further stated that the information provided was based on the best available records reasonably maintained by the company. It further argued that if the Authority considers any aspect of the Normal Value determination or Export Price adjustments to be insufficiently substantiated, the application of facts available should be limited only to those specific elements. The exporter also contended that there is no basis to disregard the actual CIF import values of the subject goods exported from Egypt to India, as these are supported by sample export invoices and can be verified through Indian customs data. Since the actual CIF values and import quantities are available on record, the corresponding landed value can be objectively determined, and therefore any application of facts available should not extend to the determination of landed value for injury margin analysis.

vi. The methodology adopted for determination of the normal value and export price for Egypt should be disclosed. Such disclosure is necessary to enable the exporter to understand and comment upon the basis of the Authority's proposed determination before issuance of the Final Findings.

vii. The imports from the subject country remained negligible for the majority of the injury period and were commercially incapable of causing material injury to the domestic industry. However, the disclosure statement does not examine how imports constituting only an insignificant share of total imports and domestic demand could have caused the alleged injury, nor does it address the exporter's submissions regarding the negligible volume of subject imports. In the absence of such examination, the proposed causal link remains unsubstantiated.

viii. It is submitted that the disclosure statement does not establish the existence of any price suppression or price depression attributable to imports from the subject country. The domestic industry's selling price consistently remains above or near cost, indicating no evidence of price suppression.

ix. That the Authority had failed to adequately examine the volume and price effects of subject imports and the impact of imports from other countries. It is further contended that the injury analysis did not establish a correlation between subject imports and the domestic industry's performance parameters. It is further argued that competition from Rock Wool products, internal business decisions, portfolio realignment following acquisitions, and other market-related factors constituted alternative causes of injury and non-attribution analysis that had not been adequately examined.

x. The exporter submitted that post-POI developments, including acquisitions, capacity expansions and new investments undertaken by the domestic industry's parent group i.e., Saint-Gobain, indicate continued growth, profitability and confidence in the insulation business. It is argued that such developments are inconsistent with the claim of continuing material injury and should have been examined by the Authority while assessing injury and causal link.

xi. The exporter is the sole producer and exporter of the product under consideration from the subject country. The petition incorrectly classified all imports into only three PCNs and treated imports of Faced Glass Wool with **V-FSK Folded** facing as **WMP-50/WMSG-50** products, despite the exporter not exporting any WMP-50/WMSG-50 faced products during the POI. This misclassification has distorted the PCN-wise analysis of price undercutting, injury margin, and dumping margin. V-FSK Folded and WMP-50/WMSG-50 facings differ significantly in their material composition, structural design, reinforcement, and performance characteristics. V-FSK Folded uses vinyl foil, fiberglass scrim, and kraft backing, whereas WMP-50/WMSG-50 uses metallized polypropylene/polyester facing systems. These products serve different customer requirements, applications, and performance specifications and are sold at materially different prices. Therefore, treating V-FSK Folded imports as WMP-50/WMSG-50 products results in an inaccurate and distorted product-to-product comparison.

J.2 Submissions made on behalf of the domestic industry

103. The domestic industry has made following post-disclosure submissions:

i. Domestic industry submitted that the exporter's response is rightly disregarded as the exporter failed to make its information available for verification and hence, its data is not reliable.

ii. It is further submitted that any fresh data, information, or revised submissions filed by the exporter after the issuance of the disclosure statement should not be accepted by the Authority.

iii. Acceptance of new information at this stage would be contrary to the principles of due process and the consistent practice followed by the DGTR in numerous investigations, wherein the disclosure statement marks the closure of the evidentiary record and provides interested parties an opportunity to comment only on the facts and conclusions already disclosed.

J.3 Examination by Authority

i. The Authority notes that compliance with Rule 16 is to be assessed on the basis of whether the interested parties were informed of the essential facts under consideration and were afforded a reasonable opportunity to present their comments thereon. In the present investigation, the disclosure statement served this purpose and enabled the interested parties to effectively exercise their right to be heard. The Authority has duly considered all submissions, evidence and comments placed on record, including those filed pursuant to the disclosure statement, and has addressed the relevant issues in these final findings. Accordingly, the Authority does not find any merit in the contention that there has been any violation of Rule 16 or the principles of natural justice.

ii. The requirement under Rule 16 is that interested parties should be informed of the essential facts under consideration that has formed the basis of the decision of the Authority and be afforded a reasonable opportunity to comment thereon before the issuance of final findings. In the present investigation, the Authority has complied with these requirements and has ensured full transparency and participation at every stage of the proceedings.

iii. The Authority notes the submissions made by the interested parties concerning the scope of the product under consideration, inclusion of products with V-FSK Folded facing, were examined in detail during the course of the investigation while finalizing the scope of the product under consideration and the PCN methodology and were subsequently addressed in the disclosure statement. The Authority has considered the submissions and evidence placed on record and finds no new information warranting a reconsideration of its earlier determination. The Authority continues to hold that the product under consideration and the PCN methodology adopted in the investigation are appropriate for the purposes of a fair comparison and determination of dumping and injury margins.

iv. The Authority notes that verification of information is an integral part of the investigation process and is necessary to establish the accuracy and reliability of the data relied upon for determination of normal value, export price, dumping margin and injury margin. In the present case, the Authority is unable to verify the information necessary for the determination of individual margins. In such circumstances, the producer/exporter cannot be regarded as cooperative for the purposes of determination of individual dumping and injury margins merely on the basis of its participation in the proceedings.

v. The Authority further notes that the application of facts available becomes necessary where the information required for determination is not verifiable. The extent of reliance on facts available is determined having regard to the facts and circumstances of each case and cannot be restricted in the manner suggested by the other interested parties. Further, where the underlying information necessary for determination of individual margins is not verifiable, the Authority is not in a position to determine exporter-specific margins or recommend individual duty rates.

vi. With regard to the submission concerning the use of actual CIF export prices and import quantities, the Authority notes that landed value, dumping margin and injury margin form part of an integrated assessment undertaken on the basis of verified and reliable information available on record. The mere availability of certain import-related information does not, by itself, warrant determination of individual margins or individual duty rates where the information necessary for the overall determination remains unverified. Accordingly, the Authority does not find merit in the submissions and has proceeded in accordance with the provisions of the Rules and the facts available on record.

vii. The Authority has examined the submission of the interested parties and notes that the request for disclosure of the methodology adopted for determination of normal value and export price is misplaced. As noted in these findings, the information furnished by the producer/exporter could not be verified and, therefore, the producer/exporter has not been considered eligible for individual determination of margins. With regard to the argument regarding the methodology adopted for determination of the normal value and export price for Egypt, it is stated that the Authority has considered the Constructed Normal value based on the adjusted cost of the domestic industry including the SGA and the reasonable profit. The export price has been determined on the basis of facts available. Further, the Authority has proceeded in accordance with the provisions of Rule 6(8) and the facts available on record and has disclosed the essential facts forming the basis of the present determination in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules.

viii. In relation to submission relating to injury and causal link, it is noted that the Authority has undertaken a detailed examination of the volume effects, price effects, injury parameters and causal link in accordance with the provisions of the Anti-Dumping Rules. The Authority notes that injury determination cannot be based on selective consideration of individual parameters in isolation and must be assessed on the basis of the overall condition of the domestic industry during the injury period. The Authority has examined the trends in imports from the subject country, their impact on prices in the domestic market, and the consequent effect on the performance of the domestic industry. The Authority further notes that the existence of imports from other countries or other market developments does not, by itself, negate the injurious effects of the dumped imports from the subject country.

ix. In relation to competition from Rock Wool products, and other market-related factors, the Authority notes that these submissions have been duly examined during the investigation. However, no verifiable evidence has been placed on record to establish that these factors were of such a nature and magnitude as to break the causal link between the dumped imports and the injury suffered by the domestic industry. The Authority

further notes that the non-attribution analysis has been undertaken in accordance with the Rules and all known factors other than the dumped imports have been examined to ensure that injury caused by such factors is not attributed to the subject imports. Accordingly, the Authority finds no merit in the contention that the injury and causal link analysis is deficient or that the requirements relating to non-attribution have not been satisfied in the present investigation.

x. With regard to V-FSK Folded, the Authority notes that the Domestic Industry has the capability to manufacture products with any type of facing, including Vinyl Foil Scrim Kraft with Folded Flange (V-FSK Folded), depending on customer requirements and order volumes. The Authority further notes that adding a facing layer does not alter the basic manufacturing process, raw material composition, or the core technical performance characteristics of the product under consideration (PUC). It is only a finishing step carried out at the final stage of production and can be modified according to the type of facing requested by the customer.

xi. Authority further notes that the comparison between imported faced glass wool with V-FSK Folded facing and domestically produced faced glass wool with White Metallized Polypropylene-50 (WMP-50)/ WMSG 50 facing in the application filed by the domestic industry was only meant for prima facie evaluation at the stage of initiation. For final analysis of the dumping margin and injury margin, the Authority has compared V FSK imports with the closest PCN produced and sold by the domestic industry during the POI.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

104. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

i. The Product under Consideration in the present investigation is “Faced Glass Wool in Rolls” also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool and excludes "Faced Glasswool in flat / tabular form" such as tiles, sheets or boards and Glass Wool Acoustical Ceiling Tiles.

ii. The domestic industry has produced like article to the subject goods being imported into India.

iii. The application in the present case has been filed by M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited, the only producer of the subject goods in the domestic market. The production of the applicant constitutes 100% of the total Indian production.

iv. The applicant is neither related to exporters or importers nor it has imported the subject goods from subject country. Applicant satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

v. The export price for all producers and exporters has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) as the sole participating cooperative producer from Egypt has been considered as non-cooperative during the investigation process due to the reasons mentioned in the relevant headings of this final finding.

vi. The dumping margin determined is positive and significant.

vii. The injury analysis has been undertaken with respect to the domestic industry as per the legal requirements and WTO Anti-Dumping Agreement.

viii. The domestic industry has suffered material injury as:

a. The volume of subject imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.

b. The subject imports have undercut the prices of the domestic industry.

c. Landed value of imports from the subject country is consistently below the cost of sales of the domestic industry.

d. Net sales realisation and cost of sales increased during the injury period; the net sales realization did not increase in the same proportion to rise in the cost of sales. Domestic industry was not able to increase their selling price despite increase in cost of sales.

e. Landed value remains lower than net sales realisation of the domestic industry throughout the injury period.

f. Demand of the subject goods has increased in year 2022-23 and remains higher in 2023-24 and in POI than the base year. Imports from the subject country have increased significantly in POI, as compared to any of the previous years.

g. Both production and domestic sales have declined over the injury period.

h. The inventories of the domestic industry have increased and were the highest in the period of investigation.

i. Profitability of the domestic industry improved significantly in 2022-23 and remained at these high levels in 2023-24. However, Profitability of the domestic industry declined significantly in the POI.

j. ROCE of the domestic industry was quite low in POI.

ix. The dumping margin for the subject country is positive and significant.

x. The injury margin determined is positive and significant.

xi. The injury to the domestic industry is due to dumping in the Indian market by the subject country.

xii. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest.

105. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

106. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

S. No.	Tariff Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7019 9010 7019 9090 7019 1900 7019 3900 7019 5900	Faced Glass wool in Rolls*	Egypt	Any country including Egypt	Any	468	USD	MT
2	- do -	- do -	Any country other than Egypt	Egypt	Any	468	USD	MT

** "Faced Glass Wool in Rolls" also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool and excludes "Faced Glasswool in flat / tabular form" such as tiles, sheets or boards and Glass Wool Acoustical Ceiling Tiles.*

L. FURTHER PROCEDURE

107. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.24 16:00:34 +05'30'